डॉ० भीमराव अम्बेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि

डॉ० अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस अंक

सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्रांति का अग्रदूत

# शोषित

साप्ताहिक

पटना कार्यालय का मो० नं०-9308631932
Reg. 136/68-P.T.R.10/NP30/2022-25

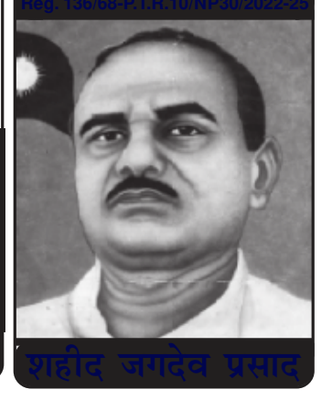

शहीद जगदेव प्रसाद

**प्रधान सम्पादक : रामानुज सिंह गौतम ● प्रबंध सम्पादक : अखिलेश कुमार ( मो०-9334016411 )**

सम्पादक मंडल : संजय श्याम, बलराम कुमार, पियुष सिंह, संवैधानिक परामर्शदाता-अरुण कुशवाहा, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली ( मो०-9905676251 )

वर्ष-56 | अंक : 04 | 09 दिसम्बर, 2024 | मूल्य : 10 रुपये | वार्षिक : 200 रुपये

## न्यायधीश या संघी कार्यकर्त्ता

लोकतंत्र के चार स्तंभ माने जाते हैं–● न्यायपालिका, ● कार्यपालिका, ● विधायिका और ● मीडिया।

चार में न्यायपालिका के अलावा तीन पर हमेशे सवाल उठते रहते हैं। हालाँकि न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप से सभी चिंतित रहते हैं, पर जबसे न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के बाद मलाईदार या रसूख वाले पदों पर बिठाया जाने लगा है, तबसे न्यायपालिका पर न्याय के मामले में पक्षपात और घुसखोरी के आरोप खुलेआम लगने लगे हैं। ताजा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायधीश शेखर यादव का है। वह आजकल चर्चा के केन्द्र में हैं। हों भी क्यों नहीं। 8 दिसम्बर को विश्व हिन्दू परिषद् के विधि प्रकोष्ठ द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर के अन्दर पुस्तकालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके प्रमुख वक्ता शेखर यादव थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान चार मूल शब्दों पर अपनी बातों को केन्द्रित किया था, जो उनके नफरती रूप को दर्शाते हैं। ये शब्द हैं–कट्ठमुल्ला, हलाला, तीन तलाक और बहुसंख्यक।

अपने 34 मिनट के भाषण में शेखर यादव ने कहा कि यह देश हिन्दुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। मुसलमानों पर हमला बोलते हुए उन्होंने उनके लिए कट्ठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। संघ के एक समर्पित कार्यकर्त्ता की तरह बोलते हुए उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि मुसलमान बच्चों के सामने ही पशुवध करते हैं। क्रूरतापूर्वक हिंसक बनाते हैं। उनके दिलों से दया और सहिष्णुता की भावना को दूर कर देते हैं।

सम्पादकीय

वध करके वे बच्चों को बात स्त्रियों की सम्मान की आई तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि समान नागरिक संहिता द्वारा उन्हें तीन तलाक, हलाला से मुक्त करना चाहिए। विवाद की जड़ में खाद-पानी देते हुए उन्होंने राम मन्दिर के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि इस हेतु पूर्वजों द्वारा दी गई कुर्बानी को बार-बार याद करने की जरूरत है। हिन्दुओं को कायर नहीं समझा जाना चाहिए। जस्टिस यादव ने विहिप के कार्यों की तारीफ की और विश्व हिन्दू परिषद् से मिशन मोड में भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए काम करने की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हिन्दूओं के भीतर की भावना मरती है, तो भारत को तालिबान और बंग्लादेश होने में वक्त नहीं लगेगा। जस्टिस शेखर के इस बयान से यह सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या देश संविधान से चलेगा या बहुसंख्यक (फासीवाद) के हिसाब से। अगर बहुसंख्यक के हिसाब से ही देश चलाना है तो जस्टिस शेखर न्यायाधीश की कुर्सी पर क्यों बिठाए गये हैं और वे अभी तक क्यों बैठे हुए हैं?

ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश यादव का संघी रूप उक्त भाषण से ही सामने आया है। इसके पूर्व एक गौ हत्या आरोपी मुसलमान को उन्होंने जमानत देने से इन्कार करते हुए कहा था कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि गाय ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता और छोड़ता है। गैर-वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि गाय के गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी के मिश्रण से बने पंचगव्य से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। जब गाय का कल्याण होगा, तभी देश का कल्याण होगा।

एक और ऐसे मामले में उन्होंने इस्लाम के धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बताया और राष्ट्र के लिए इसे खतरा घोषित कर दिया।

न्यायाधीश शेखर यादव संघी रक्त और दिमाग में सने हुए पहले जज नहीं हैं। इधर 11-12 वर्षों में ऐसे अनेक जज उस कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं जिन्होंने न्याय करने की शपथ तो भारतीय संविधान के अनुरूप लिया पर वे संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए न्याय नागपुर स्थित संघ मुख्यालय की इच्छा पर करना शुरु कर दिया है। संविधान की किताब आलमारी में बन्द कर इन्होंने न्याय की देवी के तराजू का रिमोट कंट्रोल संघ के नागपुर दफ्तर में पहुँचा दिया है। बदले में कई न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के बाद प्रमुख पदों पर बिठाकर उनका सम्मान किया गया है।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अपने देवता की आवाज सुन राम मंदिर प्रकरण तक संविधान को धत्ता बता राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में निर्णय देते फिर रहे हों, तो निचली अदालतों को इस कदर संघी होते जाना आश्चर्यजनक नहीं है। भले ही उन्हें अपना स्तर गिरवी रखना पड़े।

( शेष पृष्ठ 2 पर )

## शिक्षा संबंधी मांगों को लेकर दिल्ली में अर्जक संघ ने दिया धरना

मानववादी संगठन अर्जक संघ ने एक बार फिर 10 सूत्री शिक्षा संबंधी मांगों को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन तेज कर दिया है और इस कड़ी में पिछले 15 नवंबर 2024 को दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना दिया जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदि से अर्जक संघ के सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हुए।

संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार भारती की अध्यक्षता में आयोजित इस धरना का संचालन सांस्कृतिक समिति के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र पथिक ने की। इसके पहले श्री पथिक ने संविधान की उद्देशिका पढ़ाकर सभा की शुरुआत की और अपने संबोधन में संघ के संस्थापक महामना राम स्वरूप वर्मा के कथन को दोहराया कि यदि

सरकार संघ की मांगों पर अमल करना शुरू कर दे तो देश में जेलों की संख्या में बेहद कमी आ जाएगी। क्योंकि इस शिक्षा से अपराध, अशिक्षा, बेरोजगारी, नशाखोरी, आतंक, भ्रटाचार अंधविश्वास, दंगा फसाद आदि में भारी कमी आ जाएगी।

धरना में वक्ताओं ने 10 सूत्री शिक्षा संबंधी मांगों का विश्लेषण विस्तार से करते हुए कहा कि देश में एक समान पाठ्यक्रम हो और एक जैसा स्कूल भी हो जो साधन संपन्न हो और सारी शिक्षा नि:शुल्क हो। शिक्षा मानववादी और वैज्ञानिक हो जिसमें चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो सभी को एक जैसी पढ़ाई मिले। स्कूल कालेजों में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। संघ के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री रामजी वर्मा, कोषाध्यक्ष शिवनंदन प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ० ओमकार सिंह के अलावा उ०प्र० के अध्यक्ष राम निवास वर्मा, रमेश चंद्र, शोभा राम, गीता शाह, टुन्ना साह, राम सागर यादव, देव रंजन दास आंबेडकर, रामफल पंडित, राम तिलक, ज्ञाति गुप्ता, कमलेश आरन, किसान नेता इकबाल सिंह तोमर, राम कृष्ण प्रसाद, शोषित समाज दल के महामंत्री अखिलेश कुमार व अन्य नेता आद्या शरण चौधरी, अवधेश कुमार सिंह आदि दर्जनों वक्ताओं ने संघ के आंदोलन और नीति सिद्धांत की विस्तार से चर्चा करते हुए संघ की शिक्षा संबंधी 10 सूत्री मांगों को अमल में लाने का सरकार से मांग की और कहा कि मांगे माने जाने तक आंदोलन संवैधानिक तरीके से चलता रहेगा।

अपने अध्यक्षीय भाषण में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार भारती ने मांगों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इसके पूर्व भी संघ के संस्थापक महामना राम स्वरूप वर्मा , पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ सिंह यादव और एस आर सिंह के नेतृत्व में भी प्रखंड से दिल्ली तक शिक्षा संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन चलाया था, इसी कारण अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 मजबूर होकर सरकार को लागू करना पड़ा। पर यह पर्याप्त नहीं है। अभी देश में विषमता मूलक, अंधविश्वास वर्धक और अवैज्ञानिक शिक्षा चलाई जा रही है। आजतक शिक्षा का उद्देश्य तय नहीं किया गया है जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसे तुरंत बदलने की जरूरत है।

अर्जक संघ ने शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान कायम करना निर्धारित किया है। इससे देशभक्ति बढ़ेगी। अपराध में कमी आएगी।

( शेष पृष्ठ 2 पर )

मुद्दा

# मंदिर नहीं जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ एक होने की ज़रूरत ★ सुनील कुमार

6 दिसम्बर, 2024 को मैंने शहादरा इलाके में देखा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की 32 वीं वर्षगांठ 'संतों' के मागदर्शन में मनाई जा रही है, जिसका मुख्य बैनर था-'हिन्दू एकजुटता संकल्प दिवस'।

6 दिसम्बर ऐसा दिन है, जिसको अलग-अलग रूप में याद किया जाता है। 6 दिसम्बर, 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हुआ था तो 6 दिसम्बर, 1992 को आरएसएस के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया था। उसके बाद भारत के प्रगतिशील, न्याय-पसंद लोग 6 दिसम्बर को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आरएसएस और उसके तमाम अनुष्ठानिक संगठन विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी), बजरंग दल, बीजेपी जैसी पर्टियां, संगठन इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं अम्बेडकरवादी और सामाजिक संगठन 6 दिसम्बर को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के रूप में याद करते हैं।

मुझे बचपन की वे बातें याद है, जब 1991 में एक तरफ नई आर्थिक नीति का संसद से सड़क तक वामपंथी और अन्य संगठनों की तरफ से विरोध किया जा रहा था। नई आर्थिक नीति और डंकल प्रस्ताव का विरोध मैंने अपने गांव में नुक्कड़ नाटक के द्वारा देखा था। उससे पहले 1990 में लालकृष्ण अडवाणी देश भर में 'राम मंदिर निर्माण' को लेकर रथ यात्रा पर निकले थे। अडवाणी की रथ यात्रा मुख्य शहरों और राजधानियों में जा रही थी, जहां से उसको बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज मिल रहा था और आम लोगों तक 'राम मंदिर' की बात पहुंच रही थी। इससे देश में एक साम्प्रदायिक माहौल बनाया गया और लोगों के भाईचारा को कमोजर किया गया।

आरएसएस ने अपने मकसद में कामयाब होता देख अपने अनुष्ठानिक संगठनों के माध्यम से गांव स्तर तक रथ यात्रा निकाली। रथ पर राम मंदिर की डिजाइन की हुई फोटो और उसके सामने हाथ में धनुष-बाण लिये क्रोधित मुद्रा में राम का चित्र लगा होता था। 91 में जब नई आर्थिक नीति का विरोध हो रहा था उसी समय राम मंदिर की भी चर्चा हो रही थी। हर गांव से 'राम शिला' (एक ईंट) और हर घर से पैसे के रूप में चंदा की मांग की गई थी। भारत के अलावा मन्दिर के नाम पर विदेशों में बसे भारतीयों से भी चंदा लिया गया। जिस पर 9 साल पहले हिन्दू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और विश्व हिन्दू परिषद को पत्र लिखकर आरोप लगाया गया कि 1990 के दशक में मिले राम मंदिर के 1,400 करोड़ रुपये (उस समय 1 डॉलर लगभग 17 रू० का था और आज 83 रू० का है यानी आज के समय करीब 6,800 करोड़ रू०) और सोने की ईंट, विश्व हिन्दू परिषद ने डकार लिया। इस पत्र का जबाब मोदी और मोहन भागवत ने नहीं दिया।

वीएचपी के नेता अशोक सिंघल ने पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि 1989 में 8.25 करोड़ रू० मिले थे। वो सभी पैसा पांच साल पहले मंदिर के खंभे तराशने में खत्म हो गया हैं। इसी तरह के आरोप निर्मोही अखाड़े के सीताराम ने लगाए है कि ''वीएचपी ने मंदिर निर्माण के लिए लोगों से चंदे के रूप में पैसे लिए। मन्दिर के बजाय इन पैसों का इस्तेमाल अपनी इमारतें बनाने में किया।''

17 नवम्बर, 2019 को विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे ने कहा कि वीएचपी ने 1989 में न तो राममंदिर के लिए चंदा लिया था और ना ही वह अब चंदा ले रही है। 15 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक 9 लाख कार्यकर्ताओं द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए जनसंपर्क के माध्यम से करीब 5,000 करोड़ रू० और 4 कुंतल चांदी और सोना मिला है। मंदिर निर्माण पर हो रहे खर्च के बाद भी 3,500 करोड़ रू० मंदिर के कई खातों में जमा हैं।

आरएसएस के संगठनों ने 1990 के दशक में राम मन्दिर को लेकर अभियान चलाया और नई आर्थिक नीति के आन्दोलन से लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया। आज जब देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोग बेरोजगारी, महंगाई से परेशान हैं तो उनको 'बंटोगे तो कटोगे', 'एक हैं तो सेफ हैं' नारे के साथ उनका ध्यान भटकाया जा रहा है।

भारत पर सितम्बर 2023 तक कुल कर्ज 205 लाख करोड रू० का हो गया है जो कि 2014 में 55 लाख करोड़ रू० का था। बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत के करीब है, महंगाई में लगातार उछाल हो रहा है। इन सबसे भारत की जनता परेशान है।

यही कारण है कि विश्व खुशहाली दिवस में लगातार भारत नीचे की तरफ जा रहा है। इसकी रिपोर्ट पर नजर डाला जाये तो 2024 में भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर था, जबकि 2013 में 111वें, 2015 में 117वें और 2016 में 118वें स्थान पर था।

इसी कारण देश में आत्महत्या करने वाले बेरोजगारों, कारोबारियों, छात्रों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। भारत में 2022 में 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की, यानी प्रत्येक घंटा 19 से ज्यादा लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर हुए। आत्महत्या कोई भी व्यक्ति हाताशा में करता है। सरकार द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति का दुष्परिणाम है कि लोगों में हताशा बढ़ रही है और सरकार उसी पॉलिसी पर आगे बढ़ते जा रही है, जिससे दिनों-दिन हाताशा और आत्महत्याओं की संख्या भी बढ़ रही है। सरकार इसी सच्चाई को छुपाने के लिए 'बंटोगे तो कटोगे' और 'एक हो तो सेफ हो' के नारे लगाकर अपनी नकामयाबियों को छुपाना चाहती है। यह और दुखद हो जाता है, जब इस देश के साधु-संत भी इसी तरह की बात को दुहराते हैं। जिन लोगों को समाज में अमन-प्रेम-शांति-सद्भावना के लिए जाना जाता था, आज वो छद्म वेशधारी होकर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं।

इसी तरह 6 दिसम्बर, 2024 को मैंने शहादरा इलाके में देखा कि बाबरी मस्जिद विध्वसं की 32 वीं वर्षगांठ 'संतों' के मागदर्शन में मनाई जा रही है, जिसका मुख्य बैनर था-'हिन्दू एकजुटता संकल्प दिवस' इस मंच पर दर्जनों लोग (पुरूष-महिला) 'संत' के वेश-भूषा में मंच पर बैठे थे और एक व्यक्ति सामाज में जहर घोलने वाला भाषण दे रहा था। वह बता रहा था कि 100 गज के जिस प्लाट में एक हिन्दू रहता था आज वहां फ्लैट बन गया और 72 टोपीधारी बंग्लादेशी, रोहिंग्या व जेहादी रहने लगे हैं। आगे कहते हैं कि इस देश को आईएएस और आईपीएस चलाते हैं जब इन जेहादियों, रोहिंग्या के बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस, आईपीएस बन जायेंगे तो देश का क्या होगा? वह चुनावी माहौल को देखते हुए इसके लिए हिन्दू केजरीवाल को ही दोषी ठहरा रहे थे। वह सज्जन इस बात से चिंतित नहीं थे कि बढ़ती महंगाई और महंगी होती शिक्षा के कारण लोग अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उनको फ्री और अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए बात नहीं कर रहे थे। वह बात कर रहे थे कि दूसरे कौम के बच्चों को कैसे पढ़ने से रोका जाये। वह बात कर रहे थे कि कैसे हिन्दू देवी-देवताओं के हाथ में हथियार है। यानी वह समाज में शांति की जगह सभी के हाथों में हथियार देखने के उतावले हो रहे थे।

आज भी 1990 की पुनरावृति की जा रही है। 1991 में पूंजीपतियों-साम्राज्यवादियों को लाभ पहुंचाने के लिए 'नई आर्थिक नीति' लागू की गई और लोगों के गुस्से को साम्प्रदायिक तनाव में विभाजित कर दिया गया। नई आर्थिक नीति के तहत देश के संसाधनों को कुछ लोगों के हाथों में दे दिया गया, लोगों से नौकरियां छीनी गईं और शिक्षा को महंगी कर लोगों को अच्छी शिक्षा लेने से वंचित किया जा रहा है। अब पूंजीवादियों-साम्राज्यवादियों का संकट बढ़ रहा है और लोगों में निराशा, गुस्सा फूट रहा है तो फिर से आरएसएस और उसके अनुष्ठानिक संगठन आगे आकर लोगों को गलत नारों के साथ आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। भारत की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए और इनके निजीकरण के खिलाफ एक होना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। लोगों को इस नारे पर एक होना चाहिए कि 'हर हाथ को काम दो, काम बराबर दाम दो', सभी को शिक्षा और रोजगार दो। तभी इस देश की जनता सेफ रहेगी और आपस में मार-काट नहीं होगी। हम एक हों नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण के खिलाफ, हम एक हों साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, जो समाज में हमारे और हमारे बच्चों के अन्दर जहर घोल रहे हैं। हमें इन सब के खिलाफ एक होना होगा, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। ■

(पृष्ठ 1 का शेष)

अध्यक्ष ने कहा कि देश में कोई और ऐसा संगठन नहीं है जो शिक्षा के लिए लड़ाई लड़े। पर अर्जक संघ अकेला ऐसा मानववादी संगठन है जो पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है।जो आम आदमी के हित में है। पर आम लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें सही शिक्षा के लिए जागृत करने की जरूरत है। तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा।

अंत में राष्ट्रपति को संबोधित 10 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को समर्पित किया गया जिसमें पहली मांग शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता कायम करना निर्धारित किया जाए। दूसरी मांग, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए संविधान में संशोधन करके शिक्षा को केंद्रीय सूची में शामिल किया जाए।

तीसरी मांग, सारी शिक्षा निःशुल्क, एक समान, राष्ट्रीयकृत, वैज्ञानिक व मानववादी हो तथा दशवीं तक अनिवार्य हो। चौथी मांग प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीयता, नागरिकता, गणित, भूगोल व वैज्ञानिक उपलब्धियां, पढ़ाई जाए। किसी भी स्तर पर पाखंड, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, जाति-पाती, ऊंच-नीच का भेदभाव और चमत्कार की शिक्षा न दी जाए।

पांचवीं मांग दशवीं के बाद शिक्षा के दो भाग हो तकनीकी और व्यावसायिक तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा।

छठी मांग सभी स्तर पर शिक्षा में मानव मानव की बराबरी का सिद्धांत प्रतिपादित रहे।स्कूलों में परस्पर समता का व्यवहार और आचरण अनिवार्य हो।

सातवीं मांग तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के पर्याप्त स्कूल कॉलेज खोले जाएं। जिसमें मन पसंद रोजगार का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करके कुशल बन सके।

आठवीं मांग शिक्षा के क्षेत्र में किसी सामाजिक, धार्मिक संस्था का प्रवेश अथवा हस्तक्षेप निषिद्ध रहे।

नौवां मांग, शिक्षा का बजट रक्षा के बराबर हो और दशवीं मांग सभी पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में तैयार हो। मातृभाषा के अतिरिक्त एक अन्य क्षेत्रीय भाषा सीखना अनिवार्य हो।

इस प्रकार अर्जक संघ देश में शिक्षा संबंधी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार से मांग करने के लिए आंदोलन तेज कर दिया है। इसके तहत प्रखंड से लेकर राजधानी दिल्ली तक आंदोलन चलाया जा रहा है। देश के सभी शिक्षाविदों से संपर्क किया जा रहा है। देश के समान विचारधारा वाले संगठनों से भी संपर्क किया जा रहा है।

**– उपेंद्र पथिक**

(सम्पादकीय का शेष)

लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी अदालतें मौजूदा भाजपा के शासन में अधिकाधिक संघमय होती जा रही हैं। न्यायाधीशों का इस कदर नतमस्तक होना और स्तर से नीचे आना यह दर्शाता है कि अपने अभियान में फासीवादी ताकतें हर पूंजीवादी संस्था यथा संसद-पुलिस-सेना-न्यायालय को या तो आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देती हैं या उन्हें बदल देती हैं। उनकी इच्छा मुताबिक न चलने पर उनकी हत्या तक से गुरेज नहीं करती है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ वर्षों पहले न्यायपालिका में हो रही गड़बड़ियों से आजीज होकर सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों ने प्रेस कॉंफ्रेंस करे इंगित किया था कि इस देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आने वाले समय में देश की बर्बादी के लिए हमें दोषी नहीं ठहराया जाये।

आज हवस का दौर चल पड़ा है। हवस के इस अंधड़ में हर काई सत्ता पर काबिज होना चाहता है या सत्ता के करीब रहकर सुविधाभोगी होना चाहता है। सबको शिखर पर पहुँचना है और रातों-रात धन बटोरना है। दौलत बटोरने का बाजारवाद का ये जो आर्केस्ट्रा बज रहा है उसने मूल्य, नैतिकता, आदर्श और दायित्व भावना के चिथड़े उड़ा दिए हैं। गलत-सही, नैतिक-अनैतिक कुछ भी करना पड़े, सफलता पा लेनी है। किसी भी कीमत पर दूसरों से आगे निकलना है। क्या इस मारकाट प्रतियोगिता में जस्टिस शेखर डगमगा गये हैं। असंतुलन की अवस्था में वे अपने पद की मर्यादा तक भूल गये हैं।

इनके इलाज के लिए तमाम परिवर्तनकारी ताकतों को साझा रूप से इन्हें बेनकाब करने के अभियान में निरंतर लगकर व्यापक जनता को इनके उदारवाद के मोहपाश से दूर कर समाजवादी आन्दोलन में कूद पड़ने की दिशा तय करनी चाहिए। ■

## 6 दिसंबर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर

# बुतफरोश, बुतपरस्त और बुतशिकन ★

– पंकज नागरिक

**★ बुतफरोश-मूर्ति विक्रेता, बुतपरस्त-मूर्ति पूजक, बुतशिकन-मूर्ति पूजा का घोर विरोधी**

आज से करीब ढाई हजार साल पहले गौतम बुद्ध ने तर्क-वितर्क के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि उसे किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है। उसे इसलिए भी मत मानो कि वह परंपरा में चली आ रही है या धार्मिक मत का हिस्सा है। उसे इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं। इसके बदले किसी बात को स्वयं जांचो-परखो, तर्क-वितर्क की कसौटी पर कसो और फिर मानो।

डॉ० भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवनकाल के अंत में हिन्दू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। तब उन्होंने बौद्ध धर्म के पक्ष में बहुत कुछ लिखा। बौद्ध धर्म को हिन्दू धर्म से बेहतर बताने के लिए उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किये उनमें गौतम बुद्ध का उपरोक्त प्रसिद्ध कथन भी था।

आज अंबेडकर की मृत्यु के करीब छः दशक बाद स्वयं अंबेडकर के संबंध में क्या स्थिति है? आज अंबेडकर के भाँति-भाँति के स्वनामधन्य अनुयाई किस तरह का आचरण कर रहे हैं?

आज भारतीय समाज में अंबेडकर के भाँति-भाँति के बुतफरोशों (मूर्तियां बेचने वाले या मूर्तियों की फेरी लगाने वालों) की भरमार है। आज यदि जमीन पर अंबेडकर की मूर्तियां चारों ओर नजर आती हैं तो दिमागी स्तर पर इनकी मूर्तियां कम नहीं हैं। इन मूर्तियों को गढ़ने या स्थापित करने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इन बुतफरोशों में मूलतः चार तरह के लोग हैं।

अंबेडकर के बुतफरोशों में सबसे ऊपर भारत का पूंजीपति वर्ग और उनकी पूंजीवादी पार्टियां हैं। यहां इनमें से केवल तीन की चर्चा की जायेगी।

अंबेडकर के साथ सबसे पुराना नाता कांग्रेस पाटी का रहा है। यह नाता हमेशा सुविधापूर्ण और अंतर्विरोधी रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस पाटी को यह लगता रहा कि अंबेडकर का दलितों को अलग से संगठित करने का प्रयास और दलितों के उत्थान के लिए अंग्रेजी सरकार से उनकी सांठ-गांठ आजादी की लड़ाई में एक विभाजनकारी भूमिका निभाकर उसे कमजोर करेगा। इसीलिए उसने इसका विरोध किया। इसीलिए अंबेडकर के प्रति कांग्रेस का रुख किसी हद तक वैमनस्यपूर्ण रहा। स्वयं दलितों के प्रति कांग्रेस पाटी का रवैया सवर्ण अभिभावक का रहा जो गांधी के 'हरिजन उद्धार' में अभिव्यक्त हुआ। पर जब आजादी हासिल हो गयी तो कांग्रेस पाटी ने अंबेडकर के प्रति रवैया बदला और उन्हें व उनके दलित आंदोलन को स्वयं में समाहित करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें संविधान सभा में भेजा और सरकार में कानून मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया। बाद में स्वयं संविधान सभा में ही अंबेडकर ने इसके लिए कृतज्ञतापूर्वक कांग्रेस पाटी का आभार व्यक्त किया था।

पर ज्यादातर 'सेल्फमेड' लोगों की तरह अंबेडकर समाहित हो जाने वाले व्यक्ति नहीं थे और 1951 में अंबेडकर और कांग्रेस पाटी जुदा-जुदा हो गये। उसके बाद लगभग चार दशकों तक कांग्रेस पाटी अंबेडकर को औपचारिक तौर पर ही याद करती रही। वह दलितों के कांग्रेस पार्टी के समर्थक होने के प्रति आश्वस्त थी। अंबेडकर द्वारा गठित रिपब्लिकन पार्टी की असफलता उसे और ज्यादा आश्वस्त करती थी पर जब 1980 के दशक से दलितों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना शुरू किया तो स्थितियां बदलने लगीं। पहले तो कांग्रेस पार्टी इसे हजम नहीं कर पायी। पर एक बार यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी का परम्परागत दलित आधार खिसक गया है तो फिर उसे हासिल करने के लिए देर से सही, कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर की गुहार लगानी शुरू की। यह इसलिए भी हुआ कि कांग्रेस से छिटका दलित आधार अंबेडकर के नाम पर ही कहीं और गोलबंद हो रहा था। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के बुतफरोशों के बाजार में अपना ब्रांड लेकर उतर पड़ी।

कांग्रेस पार्टी के मुकाबले हिन्दू सांप्रदायिक भाजपा का अंबेडकर पर दावा और भी कमजोर रहा। यदि कांग्रेस पार्टी में सवर्ण हिन्दुओं की भरमार थी तो भारतीय जनसंघ तो सांप्रदायिक सवर्ण हिन्दुओं की ही पार्टी थी। इसकी मूल्य-मान्यताएं ठीक वहीं थीं जिसका दलितों के दृष्टिकोण से अंबेडकर सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। यदि अंबेडकर मनुस्मृति जला रहे थे तो जनसंघ के सवर्ण हिन्दू सांप्रदायिक मनुस्मृति का शासन कायम करना चाह रहे थे। ऐसे में दोनों का टकराव लाजिमी था और यह टकराव सघन रूप में 1951 में हिन्दू कोड बिल के मुद्दे पर फूट पड़ा। जनसंघ के सवर्ण हिन्दू सांप्रदायिकों को हिन्दू धर्म में धर्मनिरपेक्षवादी दिशा में कोई भी सुधार स्वीकार नहीं था और न ही उन्हें हिन्दू स्त्रियों की आजादी स्वीकार थी। उन्होंने नेहरू और अंबेडकर के प्रति अभियान छेड़ दिया। जब नेहरू ने स्वयं कांग्रेस के भीतर के सवर्ण हिन्दू पोंगापंथियों के दबाव में इस मुद्दे पर आत्मसमर्पण कर दिया तो अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दो-तीन दशकों तक संघियों का अंबेडकर के प्रति रुख दुश्मनी भरा रहा। जमीनी स्तर पर सवर्ण हिन्दू दलितों के प्रति घोर घृणा का रुख अपनाए रहे और उन्हें तिरस्कारपूर्वक (कांग्रेसी) सरकारी दामाद कहते रहे।

पर 1970-80 के दशक से संघियों का दलितों के प्रति रुख बदलने लगा। उन्हें यह समझ में आने लगा कि हिन्दुओं की सांप्रदायिक एकता दलितों के प्रति घृणा के रहते संभव नहीं हो सकती। अब उन्होंने सामाजिक समरसता की बात करनी शुरू कर दी। इसका मतलब था बिना जाति व्यवस्था को समाप्त किये हुआ छुआ-छूत इत्यादि को समाप्त करना। जब वाजपेयी सरकार की चुनावी सीमाएं स्पष्ट हो गयीं तो संघ के लिए यह भी स्पष्ट हो गया कि बिना दलितों और पिछड़ों को साथ लिए चुनावी वैतरणी नहीं पार की जा सकती। तब इन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग शुरू की जो मोदी-शाह की रंगा-बिल्ला की जोड़ी के नेतृत्व में परवान चढ़ी। ऐसी स्थिति में संघियों द्वारा अतीत को भुलाकर अंबेडकर की जय-जयकार करना स्वाभाविक था। अपने स्वभाव के मुताबिक वे सबसे जोर-शोर से अंबेडकर की जय बोलने लगे और उन्हें अपनी ही तरह का मुसलमान विरोधी हिन्दू सांप्रदायिक बताने लगे। उनका बस चलता तो वे अंबेडकर को संघ का प्रचारक घोषित कर देते।

इन दोनों पार्टियों से अलग बसपा शुरू से ही अंबेडकर की हामी रही है। कांशीराम ने समय रहते भांपा कि रिपब्लिकन पार्टी की असफलता और बिखराव व कांग्रेस पार्टी की दलितों के समाहन की नीति की सीमा उजागर होने के बाद एक जगह बनी है जिसमें दलितों की एक आक्रामक गोलबंदी की जा सकती है। इसके लिए अंबेडकर के नाम व विचारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बसपा के रूप में उत्तर प्रदेश में यह प्रयास सफल भी रहा। कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में बसपा ने एकदम शाब्दिक अर्थों में अंबेडकर की बुतफरोशी की। लगे हाथों मायावती ने अपनी मूर्तियां भी स्थापित करा लीं। उत्तर प्रदेश में बसपा का शासन दलितों के उत्थान की किसी परियोजना के लिए नहीं बल्कि मूर्तियों का जंगल खड़ा करने के लिए जाना जाता है। बसपा की सफलता और उसकी अंबेडकर की बुतफरोशी ने कांग्रेस और भाजपा को प्रेरित किया कि वे भी बुतफरोशी के इस बाजार में जोर-शोर से उतरें।

इन तीनों पूंजीवादी पार्टियों की अंबेडकर की बुतफरोशी के साथ ही देश के शासक पूंजीपति वर्ग द्वारा बुंतफरोशी भी थी। इसके द्वारा दलित मजदूर-मेहनतकश जनता को समूची पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ गोलबंद होने से रोका जाता है। दलितों के भीतर पैदा हुए पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग को पूंजीवादी व्यवस्था में समाहित करने के जरिये बाकी मजदूर-मेहनतकश दलित जनता को (जो विशाल बहुमत होता है) उनका पिछलग्गू बनाने की कोशिश की जाती है। इस परियोजना की शुरूआत स्वयं अंबेडकर ने की थी जब उन्होंने भारतीय संविधान के दायरे में दलित समस्या का समाधान बताया था और इस बात पर आशंका जाहिर की थी कि इसकी असफलता के बाद दलित कहीं किसी विध्वंसकारी रास्ते पर न चल पड़ें।

अंबेडकर के बुतफरोशों की दूसरी श्रेणी दलित मध्यम वगीय बुद्धिजीवियों की है। हजारों की संख्या में दलित गैर सरकारी संगठन इन्हीं का विस्तार हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा की सफलता के बाद ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। मजे की बात यह है कि बसपा की हालिया चुनावी असफलता के बाद यह संख्या कम होने के बदले और बढ़ी है। बहुत सारे छुटभैय्ये दलित बुद्धिजीवी इस समय स्वयं को भावी कांशीराम या भावी मायावती के रूप में देख रहे हैं। पूंजीवादी राजनीति में सफलता की खुशफहमी पालने का हर किसी को अधिकार है। दलित बुद्धिजीवियों ने पिछले सालों में इसकी पुरजोर कोशिश की है कि बौद्धिक दायरों में अंबेडकर पर उनका एकाधिकार रहे। अन्य बुतफरोश उनके इस बाजार में प्रवेश न कर पायें। इसीलिए जब कुछ साल पहले अरूंधति राय ने बुतफरोशी के इस बाजार में घुसपैठ करने की कोशिश की तो दलित बुद्धिजीवियों ने इसका भारी विरोध किया। आखिर एक गैर दलित अंबेडकर पर कैसे लिख सकता है, भले ही वह प्रश्नातीत प्रशंसा में ही लिख रहा हो? दलित बुद्धिजीवियों ने अंबेडकर की बुतफरोशी के धंधे से बहुत कमाई की है और वे इसे किसी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते।

अंबेडकर के बुतफरोशों की तीसरी श्रेणी सरकारी कम्युनिस्टों की है। मजदूरों-किसानों में लगातार अपना आधार खोते जा रहे इन सरकारी कम्युनिस्टों को यह लग रहा है कि यदि वे भी अंबेडकर का जाप करने लगें तो शायद उन्हें दलितों का वोट मिल जाये। इसलिए वे आत्मालोचना कर रहे हैं और शुद्धिकरण के तहत पहचान की राजनीति को स्वीकार कर रहे हैं। कभी सवर्णों द्वारा घृणापूर्वक चमार पार्टी ऑफ इंडिया (सी०पी०आई०) कही जाने वाली भाकपा और उसकी सहोदर माकपा अब कह रहे हैं कि उन्होंने भारत की जाति समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। शुद्धिकरण के तौर पर वे दलित बुद्धिजीवियों की हर लात सहने को तैयार हैं।

अंबेडकर के बुतफरोशों की चौथी और अंतिम श्रेणी क्रांतिकारियों की है। बुतफरोशों की जमात में ये भाकपा-माकपा की तरह ताजा शामिल हुए हैं। अपने क्रांतिकारी चरित्र के अनुसार उन्होंने यह जोश-खरोश के साथ किया है। कई बार तो यह कहना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई क्रांतिकारी संगठन हैं या फिर दलित गैर सरकारी संगठन। इन्होंने भाकपा-माकपा से कहीं बढ़-चढ़कर पुराने पापों के लिए आत्मालोचना की है और अब जल्दी से जल्दी पाप मोचन कर लेना चाहते हैं।

अंबेडकर के इन सारे बुतफरोशों की बुतफरोशी का परिणाम यह है कि अंबेडकर देश में इस समय सबसे ज्यादा श्रद्धेय देवता हो गये हैं। उनकी सैद्धांतिक-वैचारिक या अन्य किसी तरह की आलोचना नहीं की जा सकती। ऐसा करने वाले को काफिर या पापी घोषित कर दिया जायेगा।

ऐसा इसलिए हुआ है कि देश की चुनावी राजनीति में दलित और अति पिछड़ों के वोट अति महत्वपूर्ण हो गये हैं। थोड़े से भी मतों से तय हो रही हार-जीत के समय कोई दलित मतों के छिटक जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। और इन मतों को हासिल करने का एक तरीका है दलितों व अति पिछड़ों में अंबेडकर की बुतपरस्ती (मूर्ति पूजा) को बढ़ावा देना और इसके लिए जमकर बुतफरोशी करना। भारत हजारों सालों से बुतफरोशों या मूर्तिपूजकों का देश रहा हे। दक्षिण भारत में सिनेमाई कलाकारों की मूर्तियां स्थापित हो जा रही हैं। ऐसे में दलितों, अति पिछड़ों को इस नये किस्म की मूर्ति पूजा की ओर ढकेलना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह उन्हें पूंजीवादी दायरे में बांधे रहने का भी एक अच्छा तरीका है। इसकी सफलता इतनी ज्यादा है कि क्रांतिकारी भी अपनी सारी क्रांतिकारी चेतना भूल कर बुतपरस्ती और बुतफरोशी के इस जुलूस में शामिल हो जा रहे हैं।

मजे की बात है कि अंबेडकर स्वयं बुतपरस्त नहीं थे बल्कि बुतशिकन (मूर्तिभंजक या मूर्ति तोड़ने वाले) थे। उन्होंने थोड़ी बहुत बुतपरस्ती और बुतफरोशी केवल गौतम बुद्ध के प्रति दिखाई। जहां तक हिन्दू धर्म का सवाल था उन्होंने भयंकर बुतशिकन होने का परिचय दिया था। कम्युनिस्टों के प्रति भी उनका यही रुख था। जब कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का बुत खड़ा कर रही थी तब उन्होंने इसके प्रति तीखी आलोचना का रुख अपनाया।

कोई सहज ही सवाल कर सकता है कि ऐसे बुतशिकन की बुतपरस्ती क्यों होनी चाहिए? उसका बुत क्यों खड़ा किया जाना चाहिए। उसे सारे सवालों से ऊपर उठाकर प्रश्नातीत श्रद्धेय क्यों बनाना चाहिए? ऐसा करने वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनके कौन से हित उन्हें ऐसा करने की ओर ले जा रहे हैं?

आज जरूरत इस बात की है कि अंबेडकर के बुतफरोशों की सारी सेल्समेनशिप को बेनकाब किया जाये और दलित मजदूर-मेहनतकश आबादी को अंबेडकर की बुतपरस्ती से बाहर निकाला जाये। शोषित, दलित, दमित, मेहनतकश वर्ग की मुक्ति की लड़ाई के लिए ये बेहद जरूरी है। ■

बीच बहस में

# “मेक इन इंडिया”- मज़दूरों के निर्बाध शोषण की योजना, पूँजीपतियों के मुनाफ़ा बटोरने का ज़रिया है और सरकार इनकी संरक्षक है

इस देश में मज़दूरों पर ताक़तवर विदेशी पूंजीपतियों के क्रूर शोषण को ज़ारी रखने के लिए एक के बाद एक लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बार चेन्नई के पास सैमसंग फैक्ट्री के 1000 कर्मचारियों ने एक यूनियन बनायी तो प्रबंधन ने कहा कि वे किसी भी बाहरी यूनियन को स्वीकार नहीं करेंगे। वे केवल अपनी पसंद के कुछ मज़दूरों से बनी कंपनी की आंतरिक वर्कर्स कमेटी के साथ बातचीत करेंगे। यानी वे मज़दूरों के किसी भी संघर्षशील यूनियन को बनने नहीं देना चाहते। अंततः सरकार के दबाव में कंपनी और मज़दूर यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हो गया और 37 दिनों की हड़ताल समाप्त हो गई। लेकिन मज़दूरों के यूनियन पंजीकरण और मान्यता को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका है। यह भी अब तक स्पष्ट नहीं है कि मूल माँगों का कितना निपटान किया जाएगा।

सैमसंग मज़दूरों के संघर्ष ने एक बार फिर तमाम मज़दूरों के चिंताजनक पहलुओं को उजागर किया है। सबसे पहले सैमसंग कंपनी में हड़ताल देखकर विभिन्न विदेशी, कोरियाई और जापानी कंपनी मालिकों ने शोर मचाकर सरकार पर दबाव डाला कि अगर आन्दोलन इसी तरह आगे बढ़े तो वे यहाँ से अपने कारखाने हटा लेंगे। तब केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार पर इस आंदोलन को खत्म करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का दबाव डाला था। तमिलनाडु की डीएमके सरकार के मुख्यमंत्री तब पूंजीपतियों को अपने राज्य में आमंत्रित करने के लिए अमेरिका के दौरे पर थे। वे वहाँ मौजूद अन्य मालिकों के सामने भी असहज महसूस करने लगे। क्योंकि वे जानते हैं कि विदेशी पूंजीपतियों को किसी भी तरह से नाराज़ करना उनकी सरकार के लिए सही नहीं होगा। कुल मिलाकर सरकार पर पूंजीपतियों का दबदबा इतना ज्यादा हो गया है कि मजदूरों के लिए अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करना कठिन होता जा रहा है।

पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने मज़दूरों का हर तरह से दमन किया। कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें धरना स्थल से बेदखल कर दिया गया। सैमसंग मज़दूरों की तलाश के लिए बसों में भी पुलिस चढ़ी, उनके परिवारवालों को तरह-तरह से परेशान किया गया। आधी रात मज़दूर नेताओं के घरों पर छापा डालकर 11 मज़दूरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी प्रतिनिधियों ने सैमसंग प्रबंधन के चुने हुए वर्कर्स कमेटी की मीटिंग में भाग लिया।

सरकार लंबे समय से यही प्रचार कर रही है कि ‘मेक इन इंडिया’, ‘विकसित भारत’ के निर्माण के लिए विदेशी पूंजीपतियों को आमंत्रित करने का मक़सद इस देश की आम जनता की भलाई करना है। लेकिन इसकी गंदी हक़ीक़त देश के मज़दूरों, किसानों और मेहनतकश लोगों के लिए वाकई चिंताजनक है।

अब यह पोल खुलती जा रही है कि मोदी सरकार से लेकर तमिलनाडु सरकार या अन्य सरकारों तक ने विदेशी मालिकों, उनके मित्रों, देश के बड़े मालिकों के हित में सिर्फ़ श्रम के शोषण और मुनाफ़े के लिए यह व्यवस्था की है। फिर अगर इस देश के मज़दूर, मालिक-वर्ग के इस बेलगाम शोषण के ख़िलाफ़ सवाल उठाएं, अपनी रोजी-रोटी की मांग को लेकर संगठित हों तो सरकार मालिकों के साथ मिलकर सैमसंग मज़दूरों की तरह विरोध की आवाज़ को दबाने और उसे खत्म करने से भी नहीं हिचकेगी।

एक ओर जहाँ दक्षिण भारत में सैमसंग मज़दूरों पर तीव्र दमन दिखता है, वहीं दूसरी ओर, उत्तर भारत में, मारुति के मज़दूरों पर भी दमन और अन्याय ज़ारी है। 12 साल की बेनतीज़ा क़ानूनी लड़ाई के बाद, मारुति मानेसर कारखाने के मज़दूर फिर से सड़कों पर उतर आये हैं। ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से छँटनी किये गए मज़दूर अपनी नौकरी वापस पाने की मांग लेकर मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 1 महीने से दिन-रात धरने पर बैठे हैं। मारुति मानेसर मज़दूरों का संघर्ष भी कंपनी द्वारा एक कठपुतली यूनियन थोपने की प्रबंधन की साजिश के ख़िलाफ़ अपनी खुद की स्वतंत्र यूनियन बनाने को लेकर 2011 में शुरू हुआ था। उस दौरान मज़दूर आन्दोलन दबाने के लिए कंपनी और सरकार ने मिल-जुलकर कई हथकंडे अपनाये। फिर 2012 में कंपनी विभिन्न साजिशों के जरिए फैक्ट्री में दमन और अशांति का माहौल पैदा कर दिया। तनाव की उस स्थिति में तब फैक्ट्री में तोड़-फोड़ और आग से दम घुटने से हुई एक मैनेजर की मौत के लिए मज़दूरों को ज़िम्मेदार ठहराया गया था। उसी साजिश के तहत ही प्रबंधन जिन मज़दूरों को जेल में नहीं डाल पायी, उन्हें नियमों की परवाह किए बिना 546 स्थायी और 1800 ठेका मज़दूरों की एकतरफ़ा छँटनी कर दी। उस दौरान भी हमने देखा था कि कैसे कुछ गिरफ़्तार मज़दूरों को ज़मानत न देने के लिए सरकार के दबाव में उच्च न्यायालय ने यह कहकर ज़मानत देने से इन्कार कर दिया था कि इससे विदेशी मालिक नाराज़ हो जायेंगे।

अभी भी नौकरी में पुनर्बहाली की माँग को लेकर फैक्ट्री तक जाने वाले मज़दूरों को कोर्ट के आदेश के बावजूद गेट के पास नहीं जाने दिया जा रहा है, बल्कि 7 किमी दूर ही औद्योगिक क्षेत्र के मुहाने पर रोककर उत्पीड़ित किया जा रहा है। मालिक-वर्ग के लिए, एक और आधुनिक नया औद्योगिक मुनाफ़ा बेल्ट है- मानेसर, जहाँ विदेशी और घरेलू पूंजीपतियों, सरकार और प्रशासन द्वारा मज़दूरों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। वे मज़दूरों को मालिकों के अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की इज़ाज़त नहीं देंगे। क्या आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? कोई भी विदेशी और घरेलू पूँजीपतियों के शोषण के शासन के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता। सरकार इन पूँजी मालिकों के हितों की संरक्षक है और उनके निर्बाध मुनाफ़ाख़ोरी के रास्ते में मज़दूरों के लिए उनका विरोध करना अधिक से अधिक असंभव बना रही है।

बेंग्लुरु के पुराने मालिक वर्ग द्वारा इसी तरह का एक और मज़दूर-विरोधी आक्रोश साल 2014 में हमने मीडिया के ज़रिए देखा था- “बैंगलोर औद्योगिक अशांति के कारण संकट में है”। पूंजीपतियों ने अपने नियंत्रण वाले मीडिया के माध्यम से तीव्र चिंता ज़ाहिर करते हुए बैंग्लोर के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में आंदोलन के बारे में लिखा था– “इस क्षेत्र में टोयोटा मज़दूर अशांति एक अलग मामला नहीं है। मज़दूरों का असंतोष पूंजीपतियों के लिए घबराहट का कारण बन गया है। कंपनी मालिकों के एसोसिएशन के अध्यक्ष बीसी प्रभाकर ने कहा-“यहाँ तक कि जिन मज़दूरों को अधिक वेतन मिलता है, वे भी मांगें वसूलने के लिए आंदोलन और हिंसा का सहारा लेते हैं।” बैंग्लोर में मौजूदा श्रम स्थिति ने पूंजी निवेशकों को कर्नाटक राज्य में अपनी पूंजी निवेश योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मज़बूर कर दिया है।“ दूसरे शब्दों में कहें तो अगर मज़दूर निर्बाध शोषण के ख़िलाफ़ मांग उठाएंगे तो मालिक डर और हिंसा के बहाने देकर सरकार पर दबाव बनाएंगे और कहेंगे कि नौकरियां चली जाएंगी और धमकी देंगे कि अगर ये मांगें बंद नहीं की गई तो हम मालिक लोग कारखाने नहीं चलाएँगे।

वर्तमान में मालिकों की ऐसी मनमानी और बढ़ रही है। केवल विदेशी पूंजी-मालिक ही मज़दूरों का दमन कर रहे हों ऐसा नहीं हैं, देशी पूंजी मालिक भी मैदान में हैं। उत्तराखंड में डॉल्फिन फैक्ट्री के स्थायी मज़दूरों को अस्थायी कर दिया गया। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन और लाभ की मांग को लेकर कर्मचारी महीनों से हड़ताल पर हैं। लेकिन मालिक खुलेआम गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं। शासन और श्रम विभाग निठल्ले बैठे हैं। इंट्रार्क कंपनी मज़दूरों के साथ हुए समझौते को भी दो साल से लागू नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट का आदेश भी मालिक लोग नहीं मान रहे। ऐसे और कई कंपनी मज़दूर हैं जिनके अधिकारों का खुलेआम सरकारी संरक्षण में उल्लंघन किया जा रहा है- लुकास टीवीएस, पश्चिम बंगाल जूट मिल आदि।

मज़दूरों की आजीविका पर मालिकों और सरकारों के हमले बढ़ रहे हैं- सवाल उठाने पर दमन किया जा रहा है। जबकि हर जगह मज़दूरों पर उत्पादन का अमानवीय दबाव है, कई मामलों में 12 घंटे या उससे अधिक की ड्युटी ली जा रही है, जबकि वेतन बहुत कम है। फिर स्थायी नौकरियाँ कम हो रही हैं, ठेके पर काम की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है।

इन सबके माध्यम से, “मेक इन इंडिया”, “विकसित भारत” का असली मज़दूर विरोधी चेहरा उजागर हो रहा है। हर जगह यही मज़दूर विरोधी स्थिति है। इसके जरिए एक फैक्ट्री से लेकर चार-पांच फैक्ट्री तक के मालिकों की संपत्ति पाँच गुना बढ़ गयी है। लेकिन हम मज़दूर और भी ज्यादा उनके ख़रीदे हुए गुलाम बनते जा रहे हैं। मज़दूरों के निर्बाध शोषण की ऐसी ही एक योजना है, “मेक इन इंडिया”, जो पूंजी-मालिकों के लाभ कमाने का जरिया है और सरकार इनकी संरक्षक है। यह और अधिक भयावह रूप से स्पष्ट होता जा रहा है।

**(हमारी सोच से साभार)**

## न भगवान है, न हमारी किस्मत किसी ने लिखी है : हाकिंग

**लंदन, प्रेट्र :** भगवान कहीं नहीं है। किसी ने दुनिया नहीं बनाई और कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता है। दिवंगत हो चुके भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हाकिंग ने अपनी आखिरी किताब में यही लिखा है। अपनी इस किताब में दिवंगत वैज्ञानिक ने दुनिया के निर्माण, एलियन इंटेलिजेंस, स्पेस कोलोनाइजेशन और आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस जैसे कई जरूरी सवालों के जवाब दिए हैं।

जान मूरी द्वारा प्रकाशित किताब ‘ब्रीफ आंसर टू दी बिग क्विश्चन’ में कई बड़े सवालों के जवाब हैं। क्या वहां भगवान है? अध्याय में उन्होंने लिखा है, ‘सदियों से यह माना जाता रहा है कि मेरे जैसे डिसेबल लोगों पर भगवान का श्राप होता है। मेरा मानना है कि मैं कुछ लोगों को निराश करूंगा, लेकिन मैं यह सोचना ज्यादा पसंद करूंगा कि हर चीज की व्याख्या दूसरे तरीके से की जा सकती है।’

हाकिंग की मौत इसी साल मार्च में हुई थी। उनके मुताबिक, ‘यूनिवर्स कभी न खत्म होने वाला फ्री लंच है और अगर यूनिवर्स कुछ नया नहीं जोड़ता तो आपको इसे बनाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। क्या उनकी आस्था थी? इस पर वह बताते हैं, हम जो चाहते हैं वह मानने के लिए फ्री हैं। और यह मेरा मानना है कि भगवान नहीं है। किसी ने दुनिया नहीं बनाई और न ही कोई हमारी किस्मत चलाता है।’ ■

## बाबा साहब के विचारों को अपनाने का लिया संकल्प

**कुर्था।** स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के शोषित समाज दल कार्यालय में शुक्रवार को बाबा साहब डॉ० भीमराव आंबेडकर का परिनिर्माण दिवस मनाया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में शोषित समाज दल के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष निर्भय कुमार ने कहा कि बाबा साहेब बचपन से ही संघर्ष करते हुए उस मुकाम पर पहुंचे कि उन्होंने 32 डिग्री व 9 भाषा का उपाधि प्राप्त कर अपने परिवार को त्याग कर दिया। शोषित समाज दल राज्य समिति के आदेशानुसार पूरे बिहार में मंडल गठन करने का आदेश पारित हुआ था। इसी के आलोक में कुर्था मंडल मंत्री के पद पर पंचम सम्राट कोषाध्यक्ष प्रशांत कुमार रिंकू मीडिया प्रभारी गौतम वर्मा, बंशी प्रखंड प्रभारी संयोजक उपेंद्र यादव को बनाया गया। ■

## अंधविश्वास को छोड़ विज्ञान पर करें भरोसा

**गढ़पुरा (बेगूसराय)।** गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र की रजौड़ पंचायत अंतर्गत बलुआहा गांव में बाबा साहेब डॉ० भीमराव आंबेडकर की स्थापित प्रतिमा परिसर में मंगलवार को परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने दीप प्रज्ज्वलित कर बाबा साहब के चित्र की आरती की तथा स्थानीय ग्रामीणों एवं आगंतुक अतिथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसकी अध्यक्षता लक्ष्मण बौद्ध ने किया। शोषित समाज दल के धर्मेंद्र कुमार, जगदीश प्रसाद यादव, भंते बुद्ध प्रकाश, इंद्रजीत कुमार, अशोक कुमार ने कहा कि अंधविश्वास से दूर रहें एवं विज्ञान पर भरोसा रखें और बाबा साहब के मूलमंत्र–शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो पर कायम रहें। ■

चर्चा में

# ठगों का देश भारत : ठग अडानी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट सख्त, दुनिया भर में भारत की किरकिरी ★ सौमित्र राय

भारत में विकास के साथ गटर होना बहुत जरूरी है। आपको अपने पैदा किए कचरे की सड़ांध बराबर आनी चाहिए, वरना लोगों को खाली-सा लगेगा। गटर होगा तो वहां से निकलने वाली जहरीली गैस से चाय बनेगी। यह मेरा नहीं, नरेंद्र मोदी का उपाय है और हम सभी ने इसे ही आदर्श व्यवस्था मान लिया है।

अब अदानी के बहाने इस पूरी व्यवस्था पर जब चोट पड़ी है, मोदी के आदर्श विकास के मुरीद भविष्य की कल्पनाएं कर खुद को अक्लमंद जज मानने लगे हैं– अदानी का कुछ नहीं होगा। भारत, अमेरिकी समान पर एक्साइज घटा देगा, वगैरह।

दरअसल, ये एक हारे हुए समाज के नपुंसक लोग हैं। इन्होंने मौजूदा अनैतिक व्यवस्था को आदर्श मानकर खुद के धंधों, दलाली और घूसखोरी को सेट कर लिया है। भ्रष्टाचार अमेरिका में भी है। ट्रंप चाहते हैं कि मित्र एलन मस्क अनैतिक व्यवस्था को दुरुस्त करें। अमेरिकी जनता उम्मीद में है। भारत के नालायक गटर की बदबू से खुश हैं।

अक्सर, मैंने ऐसे नालायकों को स्थानीय स्तर पर अदानी की तरह फांदेबाजी करते पाया है। विकास की भूख और गटर की बदबू दोनों इनके साथ चलती है। जैसे अदानी चाहता है कि चीनी वेंडर्स को ज्यादा वीजा मिले। अपने सोलर प्रोजेक्ट के लिए वह सस्ते चीनी उपकरण खरीदकर पैसा बचाता है और उसी से व्यवस्था को घूस खिलाता है।

इन लोगों के लिए ये ही एक आदर्श व्यवस्था है, जिसमें ये कमा-खा सकते हैं। ये खतरनाक देशद्रोही दूसरों को नपुंसक बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये मैनेज करने वाले लोग हैं। छोटे अदानी- खुद पर मुसीबत आने पर ये कोर्ट, पुलिस, प्रशासन और राजनीति तक को मैनेज करना जानते हैं।

इनमें आपको ढेरों मुसलमान मिलेंगे। मैनेज कर चलने वाले, बीच के, न इधर के, न उधर के, इनको गुमान है कि सभी मैनेज करते हैं। सबको मैनेज करना ही चाहिए। बदलाव की लड़ाई में नाकाम भारत की 20% जनता बिक चुकी है। भारत को ठगों का देश बनाने में इनका बड़ा योगदान है। मोदी की तरह ये भी दिमागी रूप से चौथी फेल हैं।

दलालों के इस स्वर्ग में एक वक्त जल्दी ऐसा आयेगा, जब इन्हें अपनी बेटियों, बहू, बहन और मां तक की दलाली करनी होगी। मैनेज तो वे तब भी कर लेंगे। दलाल शब्द अब नैतिक है, चाहे चमड़ी की हो या दमड़ी की।

अपने धंधे और फायदे के लिए जिन संघियों ने लिबरल का मुखौटा ओढ़ रखा है (पसमांदा मुस्लिम भी शामिल) और जो यह समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अदानी लाला को बचा लेगा, उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। अमेरिका का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) अपने निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने वाली संस्था है।

भारत की सेबी में माधवी पुरी बुच जैसी अदानी की दलाल काबिज है। अब जबकि एसईसी ने अदानी पर केस चलाया है और अमेरिकी कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, दुनिया के किसी भी देश में अदानी के लिए बाजार से पैसा उठाना आसान नहीं है।

नरेंद्र मोदी अपने घर में अदानी लाला को भले बचा ले या उसे भारत से भगा दे, लेकिन अमेरिका नहीं छोड़ेगा। अमेरिकी न्याय विभाग इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा सकता है। अदानी लाला भगोड़ा ठहराया जा सकता है, लेकिन लाला न बैंक, न बाजार से एक फूटी कौड़ी तक निकाल पाएगा। भारत के बैंक ढहने वाले हैं। इंतजार कीजिए। सबकी बारी आएगी।

अदानी लाला के डूबते शेयर्स को छोड़िए। ये तो हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी डूबे थे। असल मामला तो अलग है। अदानी सेठ का 70% पैसा विदेशी निवेशकों का है। अब अमेरिकी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद लेनदारों की लाइन लग सकती है।

अमेरिका का GQG फंड अदानी की कंपनियों में 25 हजार करोड़ लगाने वाला था। अब अदानी लाला के साथ GQG के शेयर्स भी लुढ़क गए हैं। इससे विदेशी निवेशकों में डर बैठ गया है।

अब पैसे के लिए अदानी लाला चीन और रूस का रुख कर सकता है, लेकिन महामानव मोदी ने रूस और चीन के साथ जो गंदा गेम खेला है, उससे घूसखोरी का दाग धोना बहुत मुश्किल होगा। यहां तक कि दुबई में भी अदानी के भाई विनोद का रहना और कारोबार करना मुश्किल होने वाला है। आगे श्रीलंका, केन्या और ऑस्ट्रेलिया भी अदानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।

याद रखें कि यह हिंडेनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर की नहीं, अमेरिकी कोर्ट की आपराधिक कार्रवाई है। मोदी और बीजेपी आईटी सेल के लिए इसे सुलझाना आसान नहीं होगा। अमेरिकी अदालत से गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद अदानी सेठ ने 600 मिलियन डॉलर के प्रस्तावित बॉन्ड को रद्द कर दिया है। यानी अदानी ही चोर है। जगत सेठ बुरा फंसा है।

गौतम अदानी लाला ने 2020 से 2024 के बीच अफसरों को 250 मिलियन डॉलर की घूस दी। अदानी सेठ ने इस लेन-देन का हिसाब डायरी, एक्सेल शीट और पीपीटी के रूप में रखा है। अब ये सारे दस्तावेज एफबीआई के पास हैं। लाले का बचना अब नामुमकिन है।

अदानी लाला के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। अब अमेरिका की जेल में चक्की पीसेगा जगत सेठ। और नौकर नॉन बायोलॉजिकल महामानव सुबह-शाम टिफिन लेकर जाएगा। अर्श से फर्श तक पहुंचने में बस एक रात की ही बात होती है। खासकर, अगर आपने चोरी की हो।

जी20 में ऊंची-ऊंची फेंककर आए महामानव का मुंह एक ही रात में काला हो गया है। उसके मालिक गौतम अदानी को अमेरिकी अभियोजकों ने चोर ठहराया है। मार्च 2023 में एफबीआई ने गौतम अदानी के भतीजे सागर अदानी के घर पर रेड डाली थी। वहां कुछ उपकरण भी बरामद हुए थे।

अदानी लाला ने होशियारी दिखाते हुए निवेशकों से इस जांच को छिपाया। उधर, अपना महामानव अदानी के लिए विदेश में घूमकर दलाली करता रहा। अब, अमेरिका के सेबी ने यह विज्ञप्ति जारी की है।

आरोप है कि लाला ने अदानी ग्रीन और अज्यूर पावर के लिए अमेरिकी निवेशकों से 175 मिलियन डॉलर (2200 करोड़) वसूले। यह पैसा अमेरिकी अफसरों को प्रोजेक्ट पाने के लिए घूस देने के काम आ रहा था। आरोप पत्र में सागर अदानी का भी नाम है और अदानी के 7 अफसरों का भी।

यही गुजरात मॉडल की घूसखोरी बीते 10 साल के मोदी राज में स्थापित प्रक्रिया बन गई है। अदानी इसी के आधार पर अर्श तक पहुंचा है। यह काला धन बीजेपी के लिए सरकार बनाने और गिराने के काम आता है।

जी20 में भूख, गरीबी और अपने 5 किलो अनाज योजना की तारीफ कर आया महामानव भारत में घूसखोरी और कालेधन पर अब चुप है। उसके ही घर में पार्टी के आला नेता वोट खरीदते नकदी के साथ रंगे हाथ पकड़े गए हैं। ये भी अदानी का ही गुजरात मॉडल है।

भारत की न्यायपालिका के पास इस घोटाले को देखने-सुनने के लिए वक्त नहीं है। सेबी जैसी अर्द्धन्यायिक संस्था की मुखिया माधवी पुरी बुच अदानी लाला की नौकर हैं। अदानी लाला सबके मालिक हैं। इसे नरेंद्र मोदी 'एक हैं तो सेफ हैं' बताता है। असल में, ये एक ही अनेक है, रावण की तरह।

कल जब संसद में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो अदानी के साथ किए गए 2.5 बिलियन डॉलर के समझौते को रद्द करने का ऐलान कर रहे थे, लाला गौतम अदानी केन्या में ही था। ऐलान के तुरंत बाद अदानी को दी गई तमाम वीवीआईपी सुविधाएं और सुरक्षा हटा ली गई।

एक दलाल, एक घूसखोर चोर के साथ क्या सलूक होना चाहिए, यह बात सैकड़ों साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे केन्या के लोग जानते हैं, हम नहीं। केन्या को 1963 में अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन वहां का समाज भ्रष्टाचार के दीमक को नापसंद करता है।

केन्या के लोग हमसे ज्यादा शिक्षित और देशभक्त हैं। रंग और नस्लीय श्रेष्ठता का गुमान पाले भारतीय समाज चोर-डाकुओं को देश की कमान सौंपता है। हमारा समाज यह सोचता है कि पैसे से हर चीज खरीदने वाला ही बड़ा आदमी है। इस जूता चाट सोच ने हमें तबाह कर दिया है।

■

# महाराष्ट्र जीत ने भाजपा को वाचाल तो झारखण्ड हार ने गूंगा बनाया

महाराष्ट्र व झारखण्ड विधान सभा के चुनाव व विभिन्न राज्यों में उपचुनाव तथा लोकसभा उपचुनाव में संघ-भाजपा व उसके नेताओं ने घोर साम्प्रदायिक-धार्मिक ध्रुवीकरण, राज्य मशीनरी और धनबल का भरपूर प्रयोग किया। झारखण्ड में मिली करारी हार और लोकसभा उपचुनाव में हार के अलावा चुनाव परिणाम मुख्यत: संघ-भाजपा के पक्ष में रहे। झारखण्ड में यदि उसे बड़ी हार मिली तो महाराष्ट्र में उसे बड़ी जीत मिली। एक तरह से कहा जाए तो महाराष्ट्र में एक ढंग से तो झारखण्ड में हेमंत सोरेन ने दूसरे ढंग से सत्ता विरोधी लहर को थाम लिया। महाराष्ट्र में 'लाडली बहन' योजना ने भाजपा की जीत में मुख्य भूमिका निभायी तो झारखण्ड में केन्द्र की एजेन्सियों द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से उनकी पाटी के प्रति उमड़ी सहानुभूति ने भाजपा की हार में मुख्य भूमिका निभायी।

अप्रत्याशित नतीजे महाराष्ट्र के हैं जहां पांच माह पहले हुए आम चुनाव में संघ-भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। और वहां कांग्रेस पार्टी आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या उसके सहयोगियों को इतनी सीटें भी नहीं मिलीं कि वे मुख्य विपक्षी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष का पद पा सकें।

महाराष्ट्र में जीत हासिल करने के लिए संघ और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि ऐसी ताकत उसने झारखण्ड में भी झोंक दी थी परन्तु वहां मामला उल्टा पड़ गया। योगी का घोर साम्प्रदायिक नारा 'बंटेंगे तो कटेंगे' हो या मोदी का महीन-महीन बुना उतना ही साम्प्रदायिक नारा 'एक हैं तो सेफ हैं' महाराष्ट्र में कितना कारगर रहा कहना मुश्किल है परन्तु झारखण्ड में बिल्कुल भी नहीं चला। झारखण्ड में असम के अगिया बैताल हिमंत सरमा का 'बांग्लादेशी घुसपैठिया' व 'डेमोग्राफी चेंज' की आग लगाऊ बकवास भी बिल्कुल नहीं चली बल्कि इसने संघ-भाजपा के खिलाफ उल्टा माहौल बनाया।

'एक हैं सेफ हैं' नारा भगवान जाने कितना हिन्दू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कारगर रहा हो परन्तु यह संघ-भाजपा के लिए एकदम कारगर रहा। संघ ने भाजपा की जीत को महाराष्ट्र व झारखण्ड में हासिल करने के लिए इस बार पूरी जान लगा दी। और इसी तरह 'एक हैं सेफ हैं' नारे ने एकाधिकारी पूंजीपतियों व हिन्दू फासीवादियों की एकजुटता को भी कायम रखा। महाराष्ट्र में तो गौतम अडाणी का 'धारावी प्रोजेक्ट' के अलावा भी बहुत कुछ दांव पर लगा था। अजित पवार ने ठीक चुनाव के बीच एक ऐसी चाल, अडाणी के साथ सरकार निर्माण के लिए मुलाकात मामले की पोल खोल कर खेली कि भाजपा-संघ सतर्क हो गये। और चाचा शरद पवार की पैंतरेबाजी की पोल खोल भतीजे ने एक तीर से कई निशाने साध दिये। अजीत पवार ने बता दिया कि वह अडाणी व भाजपा-संघ के कितने-कितने राज खोल सकते हैं। अजीत पवार ने चाचा को ही नहीं भाजपा-शिवसेना को भी मात दे दी।

सभी राज्यों के उपचुनाव में मुख्य तौर पर सत्ताधारी पाटी ही विजयी रही। उत्तर प्रदेश में योगी ने अपने राजनैतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था। संघ तो उनके साथ खड़ा था ही। चुनावी जीत हासिल करने के लिए राज्य मशीनरी का नंगा इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि मुस्लिम मतदाताओं को धमकाने की तस्वीरें मीडिया तक में सामने आ गयीं। समाजवादी पार्टी अपने मतदाताओं की गिनती करती रह गयी और योगी ने मतपेटियां गिन लीं।

लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी जहां आसानी से जीत गयी वहां नादेड़ की सीट मुश्किल से ही बचा पायी।

उत्तराखण्ड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने वही कुछ किया जो योगी ने उ०प्र० में किया। अयोध्या-बदरीनाथ हारने के बाद संघ-भाजपा-धामी ने यहां की जीत को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था।

■

जनतंत्र का संकट

# मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन के संवैधानिक अधिकारों को पराजित करता है

शोषित समाज दल मूलवासी बचाओ मंच (एमबीएम) पर छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत लगाए गए प्रतिबंध की कड़ी निंदा करता है।

मूलवासी बचाओ मंच (एमबीएम) माओवादी विरोधी अभियानों की आड़ में आदिवासियों के दमन, उनके जंगलों, जमीनों और जल स्रोतों से उनके विस्थापन के खिलाफ और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। भाजपा सरकार का यह कदम शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन के संवैधानिक अधिकारों की हत्या से कम नहीं है।

मूलवासी बचाओ मंच पिछले कुछ वर्षों से निर्दोष आदिवासियों की हत्याओं और गिरफ्तारियों तथा संबंधित ग्राम सभाओं की सहमति के बिना पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पुलिस शिविरों की स्थापना के खिलाफ लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। सिलगेर आंदोलन में निर्दोष आदिवासियों की हत्याओं से लेकर मुटवेंडी गांव में छह महीने के बच्चे की मौत और सुरक्षा बलों द्वारा बस्तर के गांवों में बम विस्फोट और पिडिया में माओवादी बताकर आम ग्रामीणों की हत्याओं तक- मूलवासी बचाओ मंच ने इन सबके खिलाफ आदिवासी ग्रामीणों की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर आवाज उठाई है। वे संबंधित ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना नए सुरक्षा शिविर खोलने के विरोध में सिलगेर, नांबी धारा, मुकरम, गोरना और कई अन्य स्थानों पर दो साल से अधिक समय से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। राज्य सरकार की 30.10.2024 की अधिसूचना में मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध लगाने का एकमात्र कारण यह बताया गया है कि यह मंच "केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों का लगातार विरोध करता है और इन विकास कार्यों के संचालन के लिए बनाए जा रहे सुरक्षा बलों के शिविरों का विरोध करता है और आम जनता को उनके खिलाफ भड़काता है"। मूलवासी बचाओ मंच के खिलाफ यह पूरी तरह से झूठा आरोप है– उन्होंने शिविरों का विरोध तो किया है, लेकिन यह कहना गलत है कि उन्होंने विकास का विरोध किया है। संगठन ने खुद कई जगहों पर स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग उठाई है, लेकिन खनन और लकड़ी जैसे शोषणकारी उद्योगों और इनके लिए सड़कों और पुलों के निर्माण का लगातार विरोध किया है। निश्चित रूप से, सभी समुदाय खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह का विकास चाहिए! क्या माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी नीतियों का विरोध करना अब अपराध है? पेसा कानून और वन अधिकार मान्यता कानून दोनों में ही पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की सहमति की अनिवार्यता है, लेकिन पूरे बस्तर में इन प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। मूलवासी बचाओ मंच के दर्जनों प्रदर्शनों में कभी भी कोई हिंसा या हिंसक गतिविधि या हिंसा का आह्वान नहीं हुआ है और न ही कभी जनता को किसी भी तरह से हथियार उठाने के लिए उकसाया गया है। यहां तक कि राज्य सरकार की अधिसूचना में भी उनके द्वारा की गई किसी भी कथित हिंसक गतिविधि का उल्लेख नहीं है। राज्य के सभी चुनावी दलों के जनप्रतिनिधियों और सभी रंगों और सामाजिक संगठनों के प्रमुख नेताओं ने उनके विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया है। सिलगेर की घटना के बाद मूलवासी बचाओ मंच को मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के लिए भी आमंत्रित किया गया था और वे बस्तर के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों और एसपी के साथ लगातार संपर्क में हैं। इस तरह से एक लोकतांत्रिक युवा संगठन पर प्रतिबंध लगाना एक स्पष्ट संदेश है कि सरकार अपनी नीतियों के साथ किसी भी असहमति को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(सी) अपने नागरिकों को संगठित होने और जुड़ने का मौलिक अधिकार देता है। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, जिसके माध्यम से वे सामान्य लक्ष्यों या हितों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। किसी भी मौलिक अधिकार के दायरे को तभी सीमित या कम किया जा सकता है जब उसके लिए ठोस सबूत और ठोस और दबावपूर्ण कारण हों, लेकिन सरकारी अधिसूचना ऐसे किसी भी कारण को इंगित करने में विफल रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं रामलीला मैदान घटना दिनांक 4/5.06.2011 बनाम गृह सचिव, भारत संघ और अन्य ([2012] 4 एस.सी.आर. 971) में कहा है कि "200. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धरना और शांतिपूर्ण आंदोलन करके इकट्ठा होने और प्रदर्शन करने का अधिकार लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी विशेषताएं हैं। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश के लोगों को सरकार के फैसलों और कार्यों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने या यहां तक कि सामाजिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी भी विषय पर सरकार के कार्यों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार है। सरकार को ऐसे अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और वास्तव में उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्य का यह पूर्ण कर्तव्य है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में सहायता करे, जैसा कि व्यापक अर्थ में समझा जाता है, न कि उसे बाधित करे।इस प्रतिबंध के माध्यम से राज्य सरकार बस्तर के मूल निवासियों की आवाज को दबाकर बस्तर की खनिज समृद्ध, वन भूमि को कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह सर्वविदित है कि माओवाद विरोधी अभियान के नाम पर बस्तर के आम आदिवासियों और अन्य निवासियों को फर्जी मुठभेड़ों में मारा जा रहा है और झूठे मामलों में जेल में डाला जा रहा है। इन होनहार युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने के बजाय, यह बेहद निराशाजनक है कि राज्य सरकार इस शांतिपूर्ण युवा आंदोलन पर प्रतिबंध लगा रही है और बस्तर के युवाओं को माओवाद की ओर धकेल रही है।

**– मो० साजिद अली अंसारी**
छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, शोषित समाज दल

■

# मणिपुर हिंसा : शासकों द्वारा लगायी आग अब बेकाबू हो चुकी है

बीते लगभग सवा वर्ष से अधिक समय से सुलग रहे मणिपुर में नये सिरे से हिंसा भड़कने की खबरें आ रही हैं। इस बार हिंसा का केन्द्र जिरिबाम जिला बना है। ताजा सिरे से भड़की हिंसा की शुरूआत 7 नवम्बर को तब हुई जब जिरिबाम के एक गांव में मैतेई समुदाय की भीड़ ने हमला बोल दिया। गांव के ज्यादातर लोग जंगल भाग गये पर एक 38 वर्षीय हमार आदिवासी महिला पैर में गोली लगने के चलते फंस गयी। मैतेई समूह ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर उसे जिन्दा जला दिया। इसके साथ ही गांव के ढेरों घरों को आग लगा दी। इस हत्याकांड का आरोप मैतेई कट्टरपंथी समूह अरम्बाई टेंगोल पर लगा।

इस क्रूर हत्याकाण्ड से आदिवासी कूकी-जो और हमार समूहों में गुस्सा भड़क उठा। पूरे राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रदर्शनों की लहर पैदा हो गयी। कुकी-जो समुदाय की महिलायें अपनी सुरक्षा की अनदेखी के लिए जगह-जगह सुरक्षा बलों व अधिकारियों को दोषी ठहराने लगीं। प्रदर्शनकारी कुकी महिला संघ अब पहाड़ी इलाकों में विधानसभा के साथ अलग केन्द्र शासित प्रदेश की मांग करने लगा। उनका गुस्सा सीआरपीएफ, असम राइफल्स के साथ स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भी था जो उन्हें मैतेई हमलावारों से सुरक्षा दिलाने में विफल रहा था।

7 नवम्बर की इस घटना के एक दिन बाद विष्णुपर जिले के एक गांव पर हमला होने व कुकी-जो हथियारबंद हमलावरों के हमले में एक महिला के मारे जाने की खबर आयी। इस हमले में मारी गयी महिला के शव को स्थानीय लोगों ने बीएसएफ चौकी पर रख विरोध प्रदर्शन किया और कार्यवाही की मांग की।

11 नवम्बर को 11 हमार आदिवासी लोग सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गये। जिरिबाम जिले में घटी इस घटना के मामले में सीआरपीएफ का कहना था कि उग्रवादी समूह ने एक पुलिस स्टेशन व सीआरपीएफ कैम्प पर हमला किया जहां हुई मुठभेड़ में 11 आतंकवादी मारे गये। हालांकि शीघ्र ही कुकी-जो संगठनों ने आरोप लगाया कि मारे गये लोग आतंकवादी नहीं बल्कि ग्रामीण स्वयं सेवक थे जिन्हें मैतेई समर्थक पुलिस व सुरक्षाबलों ने हमला कर मार गिराया। इस हत्याकांड के विरोध में 12 नवम्बर को दिन भर के बंद की भी घोषणा की गयी।

इस तरह जिरिबाम जिला हिंसा का नया केन्द्र बन चुका है। मणिपुर में बीते सवा वर्ष से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राज्य की भाजपा सरकार ने मणिपुर को अपनी हिन्दुत्व की राजनीति की चपेट में लाने के लिए जो कदम उठाये वे ही आज दावानल का रूप लेकर सामने आ रहे हैं। मणिपुर में इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय के लोग व पहाड़ी इलाकों में कुकी-जो आदिवासी रहते आये हैं। कुकी समुदाय ईसाई बहुल है। ऐसे में मैतेई लोगों में संघ-भाजपा ने हिन्दुत्व की राजनीति शुरू करते हुए उन्हें कुकी समुदाय के खिलाफ भड़काना शुरू किया। मैतेई लोगों में कट्टरपंथी संगठन पैदा किये गये। अभी तक सुरक्षा बलों की हिंसा व आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ रहे मणिपुर के समुदायों को परस्पर हिंसा की आग तक पहुंचा दिया गया। यह हिंसा शुरू हो सके इसके लिए स्थानीय घाटी पुलिस ने न केवल मैतेई संगठनों का समर्थन शुरू कर दिया बल्कि उन्हें हथियार भी मुहैय्या कराये। राज्य सरकार ने कुकी लोगों पर नशा का व्यापार का आरोप लगा उनके खिलाफ अभियान भी छेड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि मैतेई व कुकी-जो समुदायों के बीच नफरत की खाई चौड़ी होती गयी और बीते वर्ष मई से यह एक तरह के ऐसे संघर्ष में तब्दील हो गयी जो आज तक जारी है।

बीते वर्ष शुरू हुई इस हिंसा में कुकी-जो समुदाय को जहां इम्फाल घाटी छोड़ असम राइफल्स की सुरक्षा में कैम्पों में शरण लेनी पड़ी वहीं मैतेई लोगों को पहाड़ी इलाकों से पलायन करना पड़ा। आज भी 60 हजार से अधिक कुकी-जो लोग कैम्पों में रहने को अभिशप्त हैं। गत वर्ष से जारी हिंसा में लगभग 250 लोग मारे जा चुके हैं जिनमें ज्यादातर कुकी-जो समुदाय के हैं।

संघ-भाजपा की नीति वर्चस्व वाले मैतेई समुदाय को अपने प्रभाव में लेने व उन्हें हिन्दुत्व का कार्यकर्ता बनाने की थी। पर यह नीति इस स्थिति तक पहुंच गयी है कि राज्य के दो समुदाय एक-दूसरे से एकदम कटे इलाकों में जीने लगे हैं और एक-दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि कुकी-जो समुदाय अलग केन्द्र शासित राज्य की मांग करने लगा है।

पर हिन्दुत्व की राजनीति में लीन संघ-भाजपा इस लगातार बढ़ती हिंसा से न केवल बेपरवाह है बल्कि इस हिंसा को और भड़काने के लिए मैतेई समूहों को और खाद-पानी मुहैय्या करा रही है। कुकी-जो आदिवासियों को आतंकियों की तरह प्रचारित कर उनका दमन कर रही है।

इस हिंसा में ढेरों आदिवासी महिलायें हिन्दुत्व का पाठ पढ़े मैतेइयों के द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई हैं। कभी असम राइफल्स के जुल्मों के खिलाफ संघर्ष करने वाले समुदाय के लोग आज स्वयं बलात्कार में लिप्त हो गये हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर पर मौन बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया का चक्कर काटने वाले मोदी को मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिल रहा है।

मणिपुर : फासीवादी भाजपा की प्रयोगशाला में संघी सरकार द्वारा जो आग लगायी गयी है वो बेकाबू होती जा रही है। इस आग में आपस में संघर्षरत समूह आग के लिए अभी भले ही एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं पर शीघ्र ही वे असली आग लगाने वालों को पहचान जायेंगे और फिर यह आग इसे लगाने वालों को ही भस्म कर डालेगी।

■

वाजिब चिंता

# बुझता हुआ चिराग है संविधान की प्रस्तावना

**– अनिल कुमार राय**

नब्बे वर्षों के अनवरत संघर्ष और अनगिनत शहादतों के बाद जब आजादी के ऐलान का वक्त आया तो बड़ी मुश्किल से मिलने वाले इस 'स्व'राज को एक ऐसे कायदे की जरूरत पड़ी, जिसे अपना कहा जा सके और जिस कायदे की कश्ती पर वह तमाम अवाम सवार हो सके, जो इस आजादी के जद्दोजहद में अपनी कुर्बानियाँ देते रहे और लालसा भरी निगाहों से अपनी बेहतरी की बाट जोह रहे थे। उन्हीं कुर्बानियों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उदास आँखों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए और इसके साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं से भरे इस देश को एकसूत्रित रखने के लिए संविधान सभा के 299 लोगों ने मिलकर 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों में दुनिया के सबसे विशाल लोकतन्त्र के लिए दुनिया का सबसे विशाल संविधान तैयार किया।

इसी संविधान सभा में 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी, 1947 को अपना लिया गया। यह प्रस्तावना इस नवोदित हो रहे राष्ट्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को परिभाषित करने के साथ ही इसके सामाजिक-राजनीतिक उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है। बाद में 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़कर इसे और भी समृद्ध किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च एवं अन्य 1995 SCC (5) 482 के मामले में तथा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 SC 1461 के मामले में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना है।

इस प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत जनता को माना गया अर्थात लोकप्रभुता को स्वीकृत किया गया। सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक और गणतंत्रात्मक निर्धारित किया गया। और, सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुत्व को माना गया।

लेकिन जिस उदात्त सोच के साथ इस देश की संवैधानिक बुनियाद रखी गई थी, समय बीतने के साथ ही लगातार वह जर्जर होती गई। और, अब तो यकीन करना भी मुश्किल है कि यह वही देश है, स्वतन्त्रता के संघर्ष से निकले हुए तप:पूतों ने जिसका प्रस्ताव पास किया था।

संविधान के आश्वासनों को उदात्त बनाने वाले 'समाजवाद' और 'पंथ निरपेक्ष' शब्द अवधारणा में तो आकर्षक लगते हैं, लेकिन इन 75 वर्षों की यात्रा में इन शब्दों का अभिप्राय किसी कुहेलिका में आच्छन्न हो गया है। जिस देश के महज 1 प्रतिशत अमीरों के पास देश की 40 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति संकेंद्रित हो गई हो (विश्व असमानता लैब की "भारत में आय और धन असमानता, 1922-2023: अरबपति राज का उदय"), उसमें समाजवाद का आश्वासन चिढ़ उत्पन्न करने वाला शब्द बनकर रह गया है। यह असमानता दुनिया में सबसे ज्यादा है– दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और अमेरिका से भी ज्यादा। यह तब है, जब यह 'समाजवाद' शब्द संविधान के मकान में अभी टँगा हुआ ही है।

जिस देश में उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रावधान के बावजूद न्यायिक आदेश से अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों में घुस-घुसकर शिवलिंग खोजे जाते हों, राज्य प्रायोजित धार्मिक स्थलों का निर्माण होता हो, राज्य प्रायोजित धार्मिक कृत्यों का आयोजन हो रहा हो और धार्मिक आधार पर नागरिकता तय की जा रही हो, वहाँ 'पंथ निरपेक्ष' शब्द का बने रहना माखौल के सिवा और कुछ नहीं है। अर्थात ये शब्द भले ही अब तक बने हुए हों, लेकिन सत्ता उन शब्दों की रक्षा के प्रति बेपरवाह ही नहीं, बल्कि उन शब्दों के अभिप्राय के प्रति भी हिंसक हो गयी है।

'समाजवाद' और 'पंथ निरपेक्ष' शब्द, जो करोड़ों वंचितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की उम्मीद था, कुछ आँखों की किरकिरी बना हुआ है। यद्यपि इन शब्दों के अर्थ अब जीवित नहीं रहे हैं, लेकिन इन जीवाश्म शब्दों का बने रहना भी बर्दाश्त के बाहर है। जिस तरह इन शब्दों को मिटाकर संविधान की प्रतियाँ छापी और बाँटी जा रही हैं, जिस तरह इन शब्दों को हटाने के लिए बार-बार न्यायालय के दरवाज़े खटखटाए जा रहे हैं और जिस तरह न्यायालय उन अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेता है, उससे इन शब्दों के 'शवों' का भी ज्यादा दिन तक टिके रहना नामुमकिन लगता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की बेंच ने सुब्रमण्यम स्वामी एवं अन्य की याचिका को भले ही ख़ारिज कर दिया है, परंतु यह कहकर कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली है, भविष्य में संसद के द्वारा इन शब्दों को मिटाए जाने का मार्ग भी सुझाया है। इसलिए ज्यादा दिनों तक इन शब्दों के बने रहने की संभावना अब धुंधली हो गयी है।

'लोकतान्त्रिक गणराज्य' की अवधारणा का प्लास्टर भी धीरे-धीरे झड़ता जा रहा है। आर० सी० पौड्याल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1993 SCR (1) 891 के मामले में कहा गया है, हमारे संविधान में, लोकतंत्रात्मक-गणराज्य का अर्थ है, 'लोगों की शक्तियाँ।' इसका संबंध, लोगों द्वारा शक्ति के वास्तविक, सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से है। मोहन लाल त्रिपाठी बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 1992 SCR (3) 338 के मामले में भीं यही कहा गया है। लेकिन लोगों की शक्ति के अभ्यास की यह कैसी व्यवस्था है, जिसमें 30-35 प्रतिशत समर्थन से कोई दल सत्ता प्राप्त कर लेता है और 60-70 प्रतिशत के बहुमत की न तो कोई चिंता होती है और न ही कोई पूछ। इस संकल्प का कभी यह अर्थ रहा होगा कि कोई भी सामाजिक समूह अपने हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठा सकेगा और सत्ता उसकी आवाज सुनने को बाध्य होगी। लेकिन जिन आम लोगों के बल पर इस लोकतन्त्र का इकबाल दीप्त है, आज वह और उसकी इच्छाएँ-जरूरतें सत्ता की चिंता का विषय नहीं है। श्रम क़ानूनों में संशोधन से लेकर नई शिक्षा नीति, नागरिकता संशोधन कानून, कृषि कानून– सबमें आम अवाम की उपेक्षा और प्रताड़ना के तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। इस तरह सत्ता के संवैधानिक स्वरूप की दीवारों की ईंटें खिसकती हुई दिखाई पड़ती हैं।

अब उद्देश्य की बात करते हैं। इस लोकतान्त्रिक सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुत्व को माना गया। न्याय, जिसकी हिफाजत की जिम्मेवारी न्यायालय को दी गई थी, आज वह न्यायायिक प्रणाली ही रह-रहकर खुद बड़े-से प्रश्नवाचक के कठघरे में खड़ी दिखती है। इस संवैधानिक व्यवस्था को गत्वर बनाने वाले विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना आदि की स्वतन्त्रता के अश्व अब अपने पैरों की ताकत खो चुके हैं। आज, जिसकी आवाज में थोड़ा-सा भी दम है, यदि बोलने की कोशिश करता है तो बात-बेबात के देशद्रोही घोषित करके काली दीवारों के भीतर कर दिया जाना ही अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की नियति हो गयी है। जब धर्म विशेष को राजकीय स्वरूप में अपना लिया जाता है तो दूसरे धर्मों के लोगों के खाने-पीने, रहने-जीने पर भी पाबंदियों का पहरा बैठा दिया जाता है। यही कारण है कि किसी धर्म-विशेष के आदमी के लिंचिंग के मामले में लिंचिंग करने वालों की जमानत होने पर न्याय-कक्ष में उन्माद से भरे धार्मिक नारे लगाए जाते हैं और न्यायमूर्ति मूर्तिवत देखते रहते हैं। इसी तरह जातीय और सांप्रदायिक विद्वेष के पैने तीरों से वह बंधुता, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है, आज सड़कों पर लहूलुहान पड़ी हुई है।

इस तरह इस देश की रचना में जिन सैद्धान्तिक संकल्पों की बुनियाद रखी गई थी, वह बुनियाद ही अब हिलती हुई दिखाई पड़ती है। लगता है कि संविधान के शिल्पकारों ने बड़े जतन से जो चिराग जलाया था, उसकी रोशनी अब खत्म हो रही है। ■

# संविधान और कानून का राज खत्म और अघोषित आपातकाल लागू

**– मुनेश त्यागी**

विपक्षी दलों के नेताओं को संभल की घटना के बारे में जानकारी हासिल करने और उन्हें संभल के लोगों से न मिलने देने की घटना बहुत कुछ बयां कर रही है। सरकार का कहना है कि भारत में संविधान और कानून का शासन है। इसी के तहत यहां सारी कार्यवाहियां की जा रही है और सरकार भी इन्हीं के तहत कायम है और इन्हीं के अंतर्गत कार्यवाही कर रही है।

मगर आजकल हम देख रहे हैं कि सरकार एक के बाद एक जनता के संवैधानिक और कानून के तहत दिए गए जनवादी अधिकारों पर भयानक हमले कर रही है और उनका खुलेआम हनन कर रही है और संविधानिक प्रक्रियाओं के तहत विपक्षी दलों को संसद में भी और संसद के बाहर भी काम करने पर पूरी रोक लगा रही है। जैसे उसने विपक्षी दलों के सारे अधिकार छीन लिए हैं।

इन दिनों संभल का मामला पूरे देश और दुनिया में छाया हुआ है। इस मामले में सरकार का कहना है कि वहां पर मुस्लमान दंगाइयों द्वारा शांति और सुरक्षा बिगाड़ी गई है और इन्हीं दंगाई लोगों ने शासन, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया है, उन्हें घायल किया है।

जबकि दूसरी तरफ दंगा पीड़ितों और विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि संभल की घटना सरकार द्वारा अंजाम दी गई है ताकि उत्तर प्रदेश के चुनावों की धांधलियों पर जनता के बीच कोई चर्चा ना हो सके और दूसरे अडानी मामले पर पूरे देश की जनता का ध्यान भटकाया जा सके, उस पर कोई चर्चा ना हो। सरकार लगातार अपनी सोची समझी रणनीति के तहत, इन्हीं मुद्दों और नीतियों को आगे बढ़ा रही है।

पिछले दिनों हमने संसद में देखा है कि सरकार संभल के मामले पर विपक्षी पार्टियों को चर्चा करने की कोई इजाजत नहीं दे रही है और वह इस मामले पर जनता की और विपक्षी दलों की कोई आवाज सुनना ही नहीं चाहती। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि वह पत्रकारों और लेखकों को संभल के दंगा पीड़ितों से मिलने नहीं दे रही है, उनसे बातचीत करने नहीं दे रही है।

और अब तो हद हो गई है कि जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोगों को, सरकार ने संभल के दंगा पीड़ितों से मिलने की मनाही कर दी। और हद तो तब हो गई, जब राहुल गांधी ने शासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि वह अकेले ही दंगा पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जाए, मगर उनकी तमाम कोशिशें के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों ने संसद में विपक्षी नेता राहुल गांधी को संभल के दंगा पीड़ितों से मिलने की इजाजत नहीं दी।

आखिर क्या कारण है? सरकार पत्रकारों, लेखकों और विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संभल जाने से क्यों जो रोक रही है? वह क्या छुपा रही है? सरकार की पिछले दस दिनों की तमाम चालबाजियों से यह बात मुख्य रूप से सामने आ रही है कि वहां सरकार का रुख गलत है। वह बहुत कुछ छुपा रही है।

वह सच्चाई और हकीकत को जनता के सामने आने से रोक रही है। उसे डर है कि अगर पत्रकार, लेखक और विपक्षी दलों के नेता वहां जाएंगे और दंगा पीड़ितों से बात करेंगे और दंगों में हुई हिंसा और हत्याओं की सच्चाई और हकीकत जानने की कोशिश करेंगे तो सरकार की सारी मनमानी हरकतें और कानून विरोधी गतिविधियां देश और जनता के सामने आ जाएंगी।

अपनी इन्हीं जनविरोधी, मनमानी और सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर ख़तरा पैदा करने वाली साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की नफरत की नीतियों को आगे बढ़ते हुए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संविधान के प्रावधानों और कानून के शासन को ताक पर रख दिया है।

अब उन्होंने अघोषित रूप से भारत में आपातकाल और फासीवाद लागू कर दिया हैण उसने संविधान की तमाम मर्यादाएं और कानून के शासन को ताक पर रख दिया है। अपनी इन्हीं नीतियों के कारण वह संभल की सच्चाई और हकीकत को देश और दुनिया के सामने आने से रोक रही है और जानबूझकर जनता की आवाज दबा रही हैण

अब वह खुलकर और बिना किसी खौफ-ओ-लिहाज संवैधानिक अधिकारों और आम जनता के और विपक्षी दलों के संवैधानिक आजादियों पर हमला कर रही है। वह उन्हें बोलने, लिखने, पीड़ित जनता से मिलने और हकीकत जानने के बुनियादी अधिकारों से रोक रही है।

और यह भी एक सच्चाई है कि उसे अपनी इन समस्त कारस्तानियों पर कोई अफसोस नहीं है। उसे भारत के संविधान, कानून के शासन, लोक-लिहाज और संवैधानिक राजनीतिक मर्यादाओं की कोई परवाह नहीं है। अब पूरा शासन प्रशासन उसके नक्शे कदम पर नाच रहा है।

सरकार और तमाम अधिकारी भारत के सवीच्च न्यायालय के निर्देशों को भी खुलकर धाराशाई कर रहे हैं जिसमें संभल मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी स्पष्टता के साथ कहा था कि पूरी सरकार और शासन प्रशासन के अधिकारियों को सच्चाई और निष्पक्षता से काम करना चाहिए।

इस सबसे से साफ हो गया है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के लिए संवैधानिक प्रावधानों और कानून के शासन के कोई मायने नहीं रह गए हैं। अब उन्होंने खुले तौर पर भारत में अघोषित आपातकाल और फासीवादी नीतियों और तौर तरीके लागू कर दिए हैं।

सरकार के ये तमाम संविधान विरोधी, कानून विरोधी, जन विरोधी और मनमाने हालात और तौर-तरीक बता रहे हैं कि भारत की जनता को एकजुट होकर उनके खिलाफ संघर्ष करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। ऐसा करके ही संविधान और कानून के शासन को बचाया जा सकता है। ■

# शोषित समाज दल बिहार राज्य समिति की बैठक सम्पन्न

शोषित समाज दल बिहार राज्य समिति की बैठक दिनांक 30 दिसंबर, 2024 को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निर्भय कुमार की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्यालय, जक्कनपुर पटना में सम्पन्न हुई जिसमें पिछली बैठक की समीक्षा के साथ दल के विकास व विस्तार से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी राय रखी और उपलब्धियों तथा कठिनाईयों से अवगत कराया। सभी सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि आज सारे राजनैतिक दल व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और भ्रष्टाचार के शिकार हैं। आम जन के मुद्दों सें इन्हें कोई सरोकार नहीं है। इनकी नीतियों से मध्यम और निम्न आय वर्ग वालों का बुरा हाल है। ऐसे में तमाम मेहनतकश लोगों की आशा शोषित समाज दल पर है। इसलिए हमें अपना सदस्यता अभियान तेज कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को दल के साथ जोड़कर अपना मिशन शोषितों का राज, शोषितों के लिए, शोषितों के द्वारा को तेज करना चाहिए।

बैठक में आए प्रस्ताव कि 1 दिसंबर, 2024 से सदस्यता अभियान शुरू किया जाए पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान किया जिसमें 50 मंडल समिति गठन करने की जिम्मेदारी राज्य समिति ने लिया। 6 दिसंबर, 2024 को बाबा साहब आंबेडकर की 68 वीं परिनिर्वाण दिवस समारोह सभी मंडलों में मनाने का फैसला लिया गया। बैठक में राज्य समिति, बिहार के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री अखिलेश कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामानुज सिंह गौतम भी शामिल थे। ■

# बाबा साहेब आंबेडकर का 68वाँ परिनिर्वाण दिवस आयोजित

शहीद भगत सिंह मेमोरियल कमिटी समसा एवं अर्जक संघ बेगुसराय के तत्वावधान में समसा पंचायत भवन में अर्जक संघ के जिला अध्यक्ष रामचरण महतो की अध्यक्षता में बाबा साहब आंबेडकर का 68वाँ परिनिर्वाण दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष अंजू कुशवाहा बागवन, निर्जला देवी हसनपुर बागर, सोनमा पैक्स अध्यक्ष बउएलाल महतो को अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बाबा साहब आंबेडकर के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए पूर्व डीएसपी रामचन्द राम पूर्व बीडीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया जिस समय देश में भेदभाव ऊंच नीच चरम सीमा पर था उस समय बाबा साहब ने बड़ी कठिनाई से शिक्षा प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने देश की जनता के दुख दर्द को समझा तब उन्होंने जीवन भर संघर्ष करते हुए सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। दबे कुचले को भेद भाव के खिलाफ शिक्षा पर जोर दिया। बाबा साहब का बनाया गया संविधान है जिसमें आज समता का अधिकार मिल रहा है। इस अवसर पर भंते बुद्ध प्रकाश ने पाखंड अंधविश्वास पर जादू दिखाकर लोगों को जागरूक किया। समारोह को डॉ० एस० आर० पंडित पूर्व पैक्स अध्यक्ष, प्रमोद कुमार महतो, महेश महतो, शोषित समाज दल के बखरी मंडल सचिव लालो महतो, जनार्दन पासवान, रणवीर कुमार, अनिल पासवान, उमाशंकर वर्मा, श्रवण कुमार, ए आई एस एफ के जिला नेता रौशन कुमार, रामानंद चौधरी आदि। उपस्थित लोगों ने सबसे पहले बाबा साहब आंबेडकर को पुष्पांजली अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। मंच का संचालन शोषित समाज दल के राज्य सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने किया। सभी लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह को संपन्न किया।

■

# अर्जक पद्धति से विवाह सम्पन्न

● दिनांक 22/11/2024 को बेगूसराय बाघा सामुदायिक भवन में खगड़िया जिला के अलौली निवासी इंजीनियर मुकेश कुमार एवं जिला औरंगाबाद राज्य महाराष्ट्र के प्रियंका मोकले, जो लंदन से पीएचडी कर रही है, अर्जक पद्धति से विवाह समारोह संपन्न कराने के दौरान बेगूसराय जिला संयोजक कमल रंजन कुमार, जिला अध्यक्ष सह राज्य कार्यकारिणी सदस्य रामचरण महतो एवं शोषित समाज दल के राज्य सचिव धर्मेंद्र कुमार ने अर्जक पद्धति को क्यों अपनाया जाय? इस विषय पर अपनी बातों को केन्द्रित किया और लोगों से इसमें सहयोग करने की अपील की।

● 10 नवंबर 2024 को बेगुसराय रिफायनरी कल्याण केंद्र में ज्ञान विज्ञान समिति के जिला सचिव सन्तोष कुमार की पुत्री भावना कुमारी एवं मोतिहारी जिला के इंजीनियर सुजीत कुमार की शादी अर्जक विधि से अर्जक संघ के जिला अध्यक्ष रामचरण महतो एवं अर्जक संघ के जिला सचिव कमलरंजन ने कराया। इस अवसर पर जिले के प्रमुख गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शिव शंकर जी पूर्व जिला पार्षद सदस्य, दिलीप महतो, अरविंद कुमार, सावित्री कुमारी पूर्व विधान पार्षद, ऊषा साहनी पूर्व मुखिया, संजय सुमन, अरुण कुमार सिंह, शशि जी, श्याम बिहारी वर्मा, शोषित समाज दल बिहार राज्य सचिव धर्मेन्द्र कुमार, अर्जक संघ के खगड़िया जिला सचिव अनुराग कुमार, राज्य समिति सदस्य देवेंद्र कुमार आदि शामिल थे। अर्जक पद्धति से आडंबर विहीन और दहेज रहित शादी की चर्चा जिले में काफी जोर-शोर से रही और लोगों ने इस तरह की शादी को अपनाने पर जोर दिया।

● दिनांक 10 नवम्बर, 2024 को शशि प्रकाश, सुपुत्र-मा० सत्येन्द्र नारायण सिंह एवं यश:कायी कुन्ती कुमारी, ग्राम-कोहड़उल (अरवल) की शादी गोल्डी, सुपुत्री-मा० प्रमोद कुमार एवं माननीया तारा देवी, देवरिया (उ०प्र०) के साथ चाणक्या पार्टी जोन, परसा बाजार, पटना में मानववादी व वैज्ञानिक पद्धति (अर्जक विधि) से संपन्न हुई। आडंबर रहित शादी की अध्यक्षता मा० अखिलेश कुमार, महामंत्री शोषित समाज दल ने किया। वर-वधू का प्रतिज्ञापन मा० अरुण कुमार गुप्ता, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, अर्जक संघ ने कराया।

शादी समारोह में वर-वधू के परिवार के सदस्यों के अलावा काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। सबों ने कम खर्च, कम परेशानी और वैज्ञानिक तथा आडंबर रहित शादी की प्रशंसा की और ऊँच-नीच के भेदभाव पर आधारित ब्राह्मणवादी आचार-विचार संस्कार और त्योहार को त्याग देने का संकल्प लिया। महिलाओं ने एक सुर से कहा कि यही शादी आदर्श शादी है जो समानता की बात करता है तमाम तरह की कुसंस्कृतियों से परे है। इसलिए आनेवाली पीढ़ियों को इसे अपनाकर एक आदर्श स्थापित करना चाहिए।

# शोषित समाज दल राष्ट्रीय समिति की बैठक सम्पन्न

**छपरा**। शोषित समाज दल राष्ट्रीय समिति की दो दिवसीय बैठक छपरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मा० रामचन्द्र कटियार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित एजेन्डे पर चर्चा हुई–

1. पिछली कार्यवाही की पुष्टि
2. संगठन के विस्तार पर विचार
3. वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति पर विचार
4. अन्यान्य।

प्रथम दिन पिछली कार्यवाही की पुष्टि के साथ-साथ दोनों सत्रों में संगठन के विस्तार पर विचार-विमर्श किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने इस बात पर चिंता जाहिर किया कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा परेशान-हैरान तबका पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक आदिवासी है। सत्ता हमेशे इस वर्ग के साथ उपेक्षित व्यवहार रखता है। शोषित समाज दल मूल रूप से इन्हीं कमेरा वर्ग की आवाज है। इनके बीच में ही रहकर और इन्हें ही नेतृत्व प्रदान कर आगे की रणनीति तय करता है। बावजूद इसके शोषित समाज दल का अपेक्षित विस्तार बाधित है। इसका सीधा अर्थ है कि जो अपेक्षा हमसे की जाती है उसपर हम खरा नहीं उतर रहे हैं। इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर जाकर मेहनत करने की जरूरत है। मंडल समिति से लेकर उपरी कमिटी तक हमें दल के विधान के अनुरूप लग जाना होगा। दूसरे दिन दोनों सत्रों में वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति पर चर्चा हुई। सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि सारे दल सिद्धांतविहीन और पूंजीपतियों की चाकरी करनेवाले हैं। इन दलों से किसी समस्या का समाधान संभव नहीं है। इनसे मजदूर किसान का भला कतई नहीं हो सकता है। अमरी-गरीबी की बढ़ती खाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-उद्योग आदि का बुरा हाल इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि इनकी नीतियाँ देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है। एकमात्र शोषित समाज दल ही है जो राजनैतिक विकल्प बनकर सभी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से निदान कर सकता है और इसकी नीतियाँ राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकती है।

धन्यवाद के साथ राष्ट्रीय समिति ने अनुमोदित किया कि बस्ती (उ०प्र०) के साथी विनोद कुमार तथा बिहार के रविन्द्र प्रसाद सिंह को राष्ट्रीय समिति सदस्य के रूप में रखा जाए।

राष्ट्रीय समिति की अगली बैठक 18, 19 जनवरी 2025 को वाराणसी में होगी जिसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी सेवाराम तथा अशोक जी पर होगी। ■

# अपील

**प्रिय शोषित बंधुओं!**

आपको ज्ञात है कि शोषित साप्ताहिक का प्रकाशन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की ऐतिहासिक विरासत है। शोषित साप्ताहिक ने अपने पचपन वर्ष के सफर को पूरा कर लिया है और यह छपनवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इसके प्रकाशन व वितरण में जो खर्च आता है वह आप सब पाठकों के सहयोग से पूरा किया जाता रहा है।

इसलिए नम्र निवेदन है कि एक साल का दस प्रति के हिसाब से सहयोग राशि शोषित समाज दल के खाता में देकर हमें सूचित करें ताकि डाक से आपकी लोकप्रिय पत्रिका समय पर मिल जाय। इस पत्रिका का खाता संख्या आदि नीचे वर्णित है।

पुराने वर्ष 2024 के सफल विदाई और नए साल 2025 के सुखद आगमन पर आप सबों को बधाई सह शुभकामनाएं।

**आपका अपना....**
**रामानुज सिंह गौतम**
प्रधान संपादक
शोषित साप्ताहिक सह
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, शोसद
सम्पर्क नंबर-9431175205

**अपील**

**शोषित भाईयों एवं बहनों,**

शोषित साप्ताहिक एवं शोषित समाज दल के लिए आप अपनी फुटकर / वार्षिक / आजीवन सदस्यता सीधे निम्न खाते में जमा कर सकते हैं।

**A/c Name : Shoshit Samaj Dal**
A/c Number : 3820827980, IFS Code : CBIN0283352
Bank Name : Central Bank of India , Branch : Rajeev Nagar, Patna

बैंक के जरिये अपनी सदस्यता भेजने वालों साथी मो० नं०-9431175205 पर एसएमएस अपने पूरे नाम, पता, भेजी राशि का विवरण व दिनांक के साथ भेजें। संभव हो तो लिखित सूचना शोषित कार्यालय– **रामलखन महतो फ्लैट, पुरानी जक्कनपुर, पटना-1** पर भी भेज दें।

**निवेदक : अखिलेश कुमार, महामंत्री, शोषित समाज दल -सह- प्रबंध सम्पादक, शोषित, साप्ताहिक (मो०-9334016411)**

**प्रधान सम्पादक**–रामानुज सिंह गौतम, **प्रकाशक**–शोषित समाज दल, केन्द्रीय कार्यालय : न्यू यारपुर (पुरानी जक्कनपुर), पटना-1, मो०-9431175205, 7033398490; ई-मेल : ramanujs244@gmail.com मुद्रक : **अल्का प्रेस**, पटना-6